R.N No : MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश
वर्ष 21 अंक 07 05 मार्च 2021

जगत विज़न

सियासत में मौकापरस्ती की परंपरा को बरकरार रखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने

मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा भू-माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	ओंकारनाथ तिवारी
	आनन्द मोहन
	श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट
	राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

सियासत में मौकापरस्ती की परंपरा को बरकरार रखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने

मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा भू-माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ?

(पृष्ठ क्र.-6)

- पंचायतों में आरक्षण से और मजबूत होगा उत्तर प्रदेश 51
- जय श्रीराम का नारा और ममता बनर्जी की चिढ़ 54
- नया भारत जानता है चीन को झुकाना 56
- तो कश्मीर से आने लगी अब खुशनुमा बयार 59
- Global Warming its effects and challenge for America 62

■■■

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मैं पिछले कई वर्षो से जगत विज़न मासिक पत्रिका का नियमित पाठक हूं। मैंने पिछले माह फरवरी का अंक पढ़ा, जिसमें मुझे तीन काले कानून के विरोध में दिल्ली की बार्डर पर किस तरह अन्न दाता अपनी मांग के लिए सरकार से लड़ रहा है, उस बारे में पढ़ा। जगत विज़न मासिक पत्रिका वर्तमान चल रहे आंदोलन की गतिविधियों का पता चलता है।

राहुल सोनी, रायपुर

पिछले माह फरवरी का अंक पढ़ा जिसमें मैंने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए दी गई गाईड लाईन के बारे में पढ़ा। साथ ही कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बारे में जानना वाकई यह बहुत ही चिंतन का विषय है कि अन्नदाता खेतों की बजाय सड़कों पर अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं।

दिव्यांश स्वामी, बाड़ी बरेली

पिछले कई वर्षो से मैं नियमित रूप से जगत विज़न मासिक पत्रिका का पाठन कर रहा हूं। जगत विज़न पत्रिका से देश की ही नही बल्कि विदेश की भी खबरों का पता चल जाता है। मैंने फरवरी माह के अंक में किसान आंदोलन के साथ-साथ नव-निर्वाचन बाइडेन के बारे में जाना। बाइडेन के राष्ट्पति बनने से अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में मजबूती आयेगी।

नागेन्द्र तिवारी, अहमदाबाद

जगत विज़न मासिक पत्रिका को मैं पिछले कई वर्षो से पढ़ रहा हूं, पिछले माह फरवरी के अंक की संपादकीय पढ़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में चल रही चुनावी गतिविधियों के बारे में अवगत कराती है। इस बार ममता की सरकार जा सकती है। भाजपा के मैदान में होने के कारण ममता सरकार को पुरी ताकत के साथ चुनाव में उतरना होगा।

रणवीत पटनायक, दिल्ली

पत्रिका में पाठकों की राय का स्वागत है। संदेश भेजकर सुझाव देने के लिये धन्यवाद। आप अपने सुझाव ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ई-मेल द्वारा भेजे गये सबसे अच्छे पत्र को पुरस्कृत किया जायेगा।

संपादक
जगत विजन
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
e-mail : jagat.vision@gmail.com, Visit at : www.jagatvision.com

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पश्चिम बंगाल में ममता की राह आसान नहीं

पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में होने वाला है। जिसका अंदेशा लगने लगा है और दोनों प्रमुख पार्टियों से कमर भी कस ली है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में गहरे तक पांव जमाए ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व की परतें उधड़ने लगी हैं। वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव परिणामों ने ममता बनर्जी की छत्रछाया में तृणमूल कांग्रेस के धरातलीय आधार को यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि तृणमूल कांग्रेस के विजयी रथ पर कुछ हद तक लगाम लग चुकी है। बंगाल में शून्य से शिखर पर जाने का जी–तोड़ प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने ममता के किले को उस स्थान से खिसकाने का प्रयास किया है, जो पिछले 15 वर्षों से बंगाल की राजनीति में ममता ने बनाया था। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की राजनीति की, उसके चलते भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक–दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बनकर सामने आ गए। जिसकी परिणति स्वरूप आज दोनों दल एक–दूसरे को पटखनी देने के दांवपेंच खेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद ही भाजपा की बढ़ती ताकत का अहसास हो गया था, वहीं ममता बनर्जी की तानाशाही प्रवृति का शिकार बनी तृणमूल कांग्रेस डूबता जहाज बनने की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है। वैसे तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का अध्ययन किया जाए तो यही परिलक्षित होता है कि इसके लिए स्वयं ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। तृणमूल कांग्रेस में अपने पारिवारिक सदस्यों को महत्व देने के बाद पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने वाले वरिष्ठ नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेता खुलकर बोलने लगे हैं तो कुछ अभी समय की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सवाल यह आता है कि जब इतने बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं, तब छोटे कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी भविष्य की राजनीति को लेकर भयभीत है। यह भय सत्ता चले जाने का है। इसके बाद भी ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी की नाव को एक बार फिर से पार करने का साहस दिखा रही हैं। इसे साहस कहा जाए या ममता बनर्जी की बौखलाहट, क्योंकि ममता बनर्जी वर्तमान में अपनी पार्टी की नीतियों को कम भाजपा को कोसने में ज्यादा समय व्यतीत कर रही हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने ही देश की सरकार के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुकी हैं। इसलिए आज उन्हें भगवान श्रीराम के नाम से चिढ़ हो रही है। ममता बनर्जी ने इस नारे को भाजपा से जोड़कर देखने का जो भ्रम पाल रखा है, वह नितांत उनकी संकुचित सोच या एक वर्ग विशेष के प्रति नरम रवैए को ही प्रदर्शित करता है। ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही हैं, ये तो वही जानें, लेकिन भाजपा ने वही किया है जो उनके घोषणापत्र में है और इसी घोषणापत्र पर भाजपा को लोकतांत्रिक रूप से व्यापक समर्थन भी मिला है।

वर्तमान में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के समक्ष अपना प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। यह चुनौती किसी और ने नहीं, बल्कि उनके करीबियों ने ही पैदा की है। प्रायः सुनने में आता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता अपने विरोधी राजनीतिक दल के नेता को सहन करने की मानसिक स्थिति में नहीं है। सवाल यह आता है इस प्रकार की मानसिकता का निर्माण किसने किया? स्वाभाविक ही है कि वरिष्ठ नेतृत्व के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसी कारण बंगाल में लगातार होती राजनीतिक हिंसा में सीधे–सीधे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आरोपी समझ लिया जाता है। ऐसे घटनाक्रमों को देखकर जो व्यक्ति देश हितैषी राजनीति करने को ही असली रास्ता मानते हैं, वे तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाने लगते हैं। अभीतक कई दिग्गज राजनेता तृणमूल से दामन छुड़ा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि राज्य में बंगलादेश घुसपैठियों की बड़ी संख्या है। जहां राजनीतिक संरक्षण के चलते ये घुसपैठिए असामाजिक गतिविधियों में भी संलग्न पाए जाते हैं। इसके पीछे मूल कारण यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन्हीं घुसपैठियों के समर्थन से अपनी राजनीति कर रही हैं। इससे राज्य में हिंदुओं के प्रति दुर्भावना भी निर्मित हुई है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा के लिए यह मुद्दा संजीवनी का काम कर रहा है लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार्यशैली हिंदुओं की इस समस्या के विपरीत दिखाई देती है। हद तो तब हो गई, जब ममता बनर्जी बंगलादेशी घुसपैठियों को बसाने के समर्थन में ताल ठोंककर मैदान में आ गई। यह भी ममता बनर्जी के राजनीतिक पराभव का बड़ा कारण माना जा रहा है।

विजया पाठक

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सियासत में मौकापरस्ती की परंपरा को बरकरार रखा

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने

मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा भू-माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कहते हैं राजनीति में न कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। बस राजनेता अपने मतलब के लिए कभी भी पाला बदलने में संकोच नही करते हैं। यह बात बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साबित भी कर दी है। करीब एक साल पहले बीजेपीमय हुए सिंधिया ने अपने राजनीतिक दोस्त कमलनाथ का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। अपनी दल बदलने की पारिवारिक परंपरा को भी बरकरार रखा। सिंधिया ने पाला बदलने में एक पंथ दो काज किए हैं। पहला, वह सत्ता के हिस्सेदार बने। दूसरा, वे अवैध भूमि के जिस गोरखधंधे में लिप्त थे, उसे आगे बढ़ाया। ग्वालियर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र की यही वह जमीनें हैं, जिन्होंने सिंधिया को बीजेपी की ओर मुड़ने पर मजबूर किया। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 साल में सिंधिया ने करीब 40 हजार करोड़ रूपये की कीमत की जमीनों को अवैध रूप से हथियाया है। यह वह जमीनें हैं जो कभी शासकीय जमीनें हुआ करती थी या धार्मिक स्थल की जमीनें थीं। यही नहीं पहले जब सिंधिया कांग्रेस में रहे तो क्षेत्र के विकास को दरकिनार कर कमलनाथ सरकार पर दबाव बनाते हुए मनपसंद लोगों को मंत्री बनवाया, उन्हें मनपसंद विभाग दिलवाए। फिर मनपसंद अधिकारियों की पोस्टिंग अपने क्षेत्रों में करवाई। उसके बाद जब बीजेपी में आए तो शिवराज सरकार में भी वह यही कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शिवराज सरकार कब तक सिंधिया की मनमर्जियों को झेल पाती है और कहां जाकर सिंधिया की हठधर्मिताएं खत्म होती हैं।

विजया पाठक

बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश के सबसे बड़े भू-माफिया के रूप

कोवेनेंट के आर्टिकल-12 के तहत सूची की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों पर सिंधिया की गिद्ध नजर

में बनकर उभरे हैं। क्या शासकीय जमीन, क्या धार्मिक स्थल की जमीन और क्या शमशान की जमीन, सब पर सिंधिया की गिद्ध नजर है। कहा जा सकता है कि पिछले दो साल से सिंधिया को जमीनों पर अवैध कब्जा करने का भूत सवार है। कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2019 में कांग्रेस सरकार के साथ जो राजनीतिक गद्दारी की थी, वह राजनीति से प्रेरित न होकर जमीनों का गोरखधंधा करने के लिए ही था। वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने क्षेत्र के विकास से कभी भी मोह नही रहा है। उनकी राजनीतिक रसूख का केवल एक ही मकसद रहा कि कैसे और किस तरीके से अपना आर्थिक साम्राज्य का विस्तार किया जाए।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

यह भी एक दौर था, जब 2018 में प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की जोड़ी ने 15 साल से जमी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह जोड़ी इतना बड़ा कमाल कर देगी। लेकिन सत्ता और सियासत के इस खेल में समय ने ऐसी करवट बदली कि कमलनाथ सरकार सिर्फ 18 महीने ही सत्ता पर काबिज रह सकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने महत्वाकांक्षाओं को पालने और पोसने के चलते सियासत की दूसरी पारी शुरू कर दी और बीजेपी में आ गए।

विस्तारवादी सिंधिया की सत्ता मे बने रहने का एक ही उद्देश्य है। हम देख सकते हैं कि पिछले दो दशक से सिंधिया सक्रिय रानजीति मे है। इस दौरान वे मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और सत्तासीन सरकार के हिस्सेदार भी रहे, लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी वह अपने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र का विकास नही करा पाए। जिसका प्रमुख कारण यह रहा कि उन्होंने कभी भी विकास को प्राथमिकता में नही रखा। स्वयं को महाराजा प्रदर्शित

सरकार अगर जांच करके अवैध कब्जे की जमीन को अपने पास ले ले और उनको सरकारी रेट पर बेच दे तो मध्यप्रदेश सरकार का सारा कर्जा उतर जायेगा

करते रहने मे ही पूरा समय व्यतीत किया। कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल मे भी इन्होंने राजनीतिक आतंक कम नही मचाया। वह सरकार मे भले ही हिस्सेदार न रहे हों लेकिन सरकार चलने मे बहुत दबाव डाला। अपने क्षेत्रों मे मनपसंद अफसरों की तैनाती करवाई। कई गैर कानूनों कामों को करने का सरकार पर दबाव बनाया। बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सिंधिया की सिफारिशों से काफी परेशान हो

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ये है सिंधिया और शिवराज की जोड़ी जो अभी भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। क्योंकि आज शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में राज कर रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सिंधिया ही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यह जोड़ी कब तक साथ-साथ रह सकती है। क्योंकि जिस परिपाटी पर सिंधिया चल रहे हैं और सरकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं उसे देखकर नही लगता कि यह जोड़ी ज्यादा दिन तक टिक पाएगी। कहा जा सकता है कि सिंधिया ने सरकार को अपने कब्जे में ले रखा है। अपने सभी लोगों को सिंधिया ने मंत्री भी बनवा दिया है और मनपंसद विभाग भी दिलवा दिए हैं। अब वह पूरी ताकत के साथ अपने काले कारनामों को पूरा करने पर उतारू हैं।

गए थे। अंतत: कमलनाथ ने सत्ता से छुटकारा पाना ही बेहतर समझा। कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में सिंधिया की पद की लालसा सिर्फ एक दिखावा भर थी। असल में वह ग्वालियर क्षेत्र की हजारों एकड़ जमीनें हथियाने का दवाब बना रहे थे। जिसमें काफी हद तक वह सफल भी रहे। जब कमलनाथ ने उनकी बातों को मानने में इंकार करना शुरू किया तो सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामने को फायदेमंद समझा। सिंधिया का बीजेपी ज्वाइन करना सिर्फ राजनीतिक रसूख पाना भर नही है, बल्कि अपने काले गोरखधंधों को अंजाम तक पहुंचाना भी है। आज परिस्थिति भी वही निर्मित हो रही है, जो कभी कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी। बीजेपी अब मजबूरी में सिंधिया को झेल रही है। सिंधिया का आज भी पूरा ध्यान अपने काली करतूतों को अमलीजामा पहनाना है। ज्योतिरादित्य की स्थिति यह है कि 18 साल मंत्री रहे तब इन्होंने

ग्वालियर की अधिकतर जमीन मिलिट्री की थी। 34 फोर बटालियन एरिया था और मुरार में सिपाहियों के रहने की जगह थी। बताया जाता है कि सिंधिया ने थाटीपुर की कई जमीनों पर कब्जा कर लिया

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ग्वालियर का कोई विकास नही किया, इनकी इच्छा से ही पार्षद से लेकर विधायक तक के टिकट दिए जाते थे। ज्योरतिरादित्य ने इतने ज्यादा जमीन घोटाले किए गए थे कि इनकी मजबूरी थी कि बीजेपी में जाना नही हो पाता तो इनका नाम घोटालों में आ जाता। बीजेपी में आते ही उन्होंने जमीनों के गोरखधंधे को और गति दे दी है। ग्वारलियर क्षेत्र की चुन-चुनकर बेशकीमती जमीनों को अपने पुस्तैनी देवस्थान सिंधिया ट्रस्ट में शामिल करवा रहे हैं। फिर अवैध तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से फर्जी नामांतरण कर बेचा जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में अभी तक जमीनों पर अवैध कब्जा आज तक नही हुआ है, जितना सिंधिया कर रहे हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सियासत के मौकापरस्त शूरवीर ज्योतिरादित्य सिंधिया

सिंधिया परिवार की एक परंपरा काफी सुर्खियों बटोरती है। यह परंपरा है राजनीति में किसी एक पार्टी में न टिक पाना। राजमाता विजयराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तीन पीढ़ियों के तीनों नेताओं ने राजनीतिक दल बदले। मौजूदा समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी खानदानी परंपरा को बरकरार रखा और पाला बदला। इन्हें सियासत का मौका परस्त शूरवीर कहा जाए तो गलत भी नही होगा। खुद को महाराजा, श्रीमंत कहलवाना तो सिंधिया पसंद करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ और लाभ के लिए शूरवीरता मौकापरस्ती में बदल जाती है।

बताया जा रहा है कि सिंधिया ने अवैध तरीके से अब तक करीब 40 हजार करोड़ की जमीनों का बंदरबांट किया है। यह वह जमीनें है, जो कभी शासकीय हुआ करती थी, या धार्मिक स्थल की हुआ करती थी। लेकिन सिलसिलेवार सिंधिया इन जमीनों का फर्जी नामांतरण कराया, फिर कई एकड़ जमीन को तो बाजार कीमत में बेच भी दिया। खुद को महाराजा कहलवाने का शौक रखने वाले सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए जमीनों पर अवैध

ग्वालियर शहर के एक नाले के ऊपर की सरकारी जमींन को 2003 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रस्ट ने नारायण बिल्डर को अवैध रूप से बेच दी। जिसको लेकर न्यायालय में जनहित याचिका भी लगी थी। न्यायालय ने इस मामले को लेकर तत्कालीन कलेक्टर पी.नरहरि को निर्देशित किया था कि इसकी जांच की जाए। वर्तमान में इस मामले को लेकर एक पिटीशन लंबित है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कोवेनेंट के आर्टिकल-12 के आधार पर 1949 के बाद महाराजा/राजा की निजी सम्पत्ति में नहीं होगा कोई संशोधन

1947 में भारत आजाद हुआ, मध्य भारत बना। एक समझौता सरकारों और राजाओं के बीच हुआ और सभी राजाओं का भारत में मर्ज हुआ। भारत सरकार में एक Covenant तैयार हुआ। अनुच्छेद 12 में सभी राजाओं को अपने व्यक्तिगत उपयोग की संपत्ति और राज्य सरकार की संपत्ति की लिस्ट देनी थी तो ग्वालियर महाराज ने भी अपनी संपत्ति की लिस्ट भेज दी। भारत सरकार ने उस लिस्ट को फाइनल करके 13/2/1968 को मध्य भारत के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी को भेज दी। सभी राजा महाराजाओं की संपत्ति की सूची 25/7/1949 को मेमोरेंडम के साथ सभी विभागों को भेज दी गई। इस लिस्ट के अलावा ग्वालियर राज्य की संपत्ति भारत में सम्मलित हो गई। भारत के आजाद होने के बाद मध्य भारत गजट में दिनांक 30 अक्टूबर 1948 में राजनीतिक एवं एक्सटर्नल विभाग क्रमांक 1674/पी एण्ड ई. ग्वालियर में दिनांक 7 अक्टूबर 1948 Covenant में आर्टीकल 12 में Covenanting राज्य को अपनी निजी संपत्ति की पूरी स्वामित्व उपयोग और आनंद के लिये पूर्व स्वायत्ता दे दी गई। इसके अलावा राज्य प्रमुख के समक्ष 1 अगस्त 1948 तक अपनी अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और नगदी शेष को निजी संपत्ति के रूप में माना जायेगा। इसके अलावा एक प्रमुख प्रावधान में माना गया कि 1 जुलाई, 1949 के बाद संपत्ति पर कोई भी विवाद मान्य नही होगा। यह Covenant स्पष्ट तौर पर सूची पर महत्व दिया गया है, इसके मुताबिक राज्य द्वारा दर्शाई गई निजी संपत्ति के अलावा शेष राज्य की संपत्ति सरकार की हो जायेगी एवं Covenanting राज्य निजी संपत्ति का उपयोग अपने हिसाब से कैसे भी कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात सूची क्रमांक 4 है, जो कि महाराजा सिंधिया ग्वालियर की निजी संपत्ति थी जिसे इन्होंने मध्य भारत सरकार को सौंपा। इस सूची क्रमांक 4 में मोती महल पैलेस, गोरखी पैलेस, जयाजी चौक लश्कर, सरस्वती महल कंपू कोठी, जल विहार और गेंद घर, महेश्वरा कोठी, तिगरा कोठी, गद्दी बैरक, ग्वालियर महल में भदया खुंड शिवपुरी, श्योपुर पैलेस,

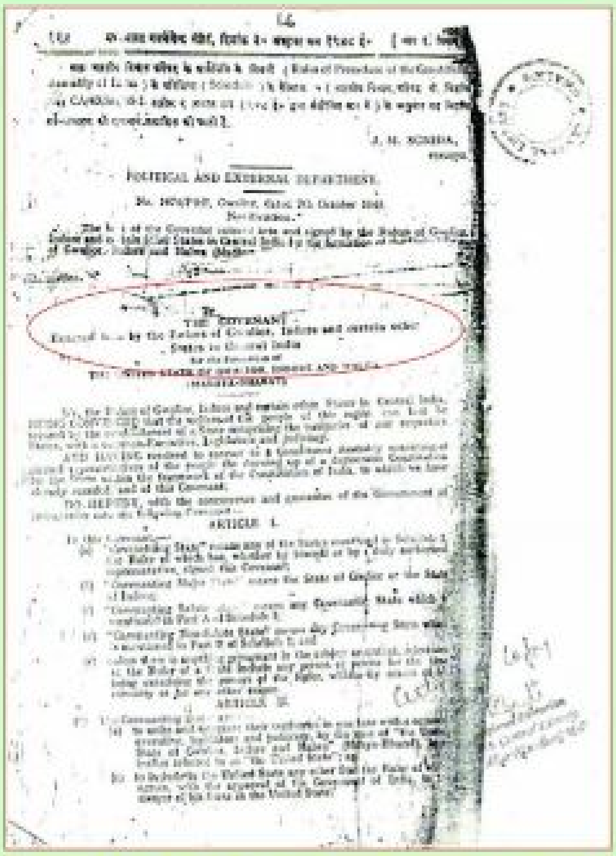

आजादी के बाद 1948 में भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन पर कोवेनेंट दस्तावेज तैयार हुआ

पुरानी छावनी कोठी, गिट्टू, अप्पाजी काटेज टुंडा, भदका रोड शिवपुरी, भूराखो और टॉवर, अम्माकुंज काठ बंगला, गोराघाट

कब्जे को लेकर बीजेपी को खूब कोसा करते थे, आज वही सिंधिया बीजेपी की सरपरस्ती में रहकर जमीनों की बड़े स्तर पर हेराफेरी कर रहे हैं। इतनी बड़ी रियासत के वारिस होने के बावजूद भी इनकी भूख कम नही हो रही है। गरीब, असहाय लोगों की जमीनों पर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ARTICLE IX.

ARTICLE X.

ARTICLE XI.

ARTICLE XII.

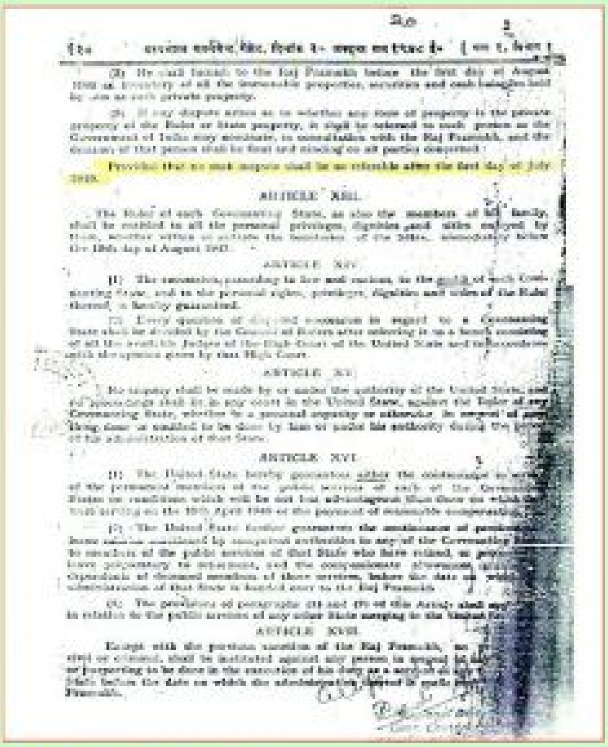

ARTICLE XIII.

ARTICLE XIV.

ARTICLE XV.

ARTICLE XVI.

ARTICLE XVII.

कोवेनेंट के आर्टिकल-12 में राजा/महाराजाओं को अपनी अंतिम निजी सम्पत्ति को सौंपने का तथा 1949 के बाद उस पर न कोई संशोधन, न नामांतरण, न इस सूची की सम्पत्ति के अलावा अन्य कोई सम्पत्ति पर विवाद नहीं हो सकता।

बंगलो, राम नगर महल चंदेरी, पंचम नगर महल चंदेरी, सिंगपुर महल चंदेरी, जौरा कोठी आगर, लाल बंगलो शाजापुर, हाउसेस ऑफ सुंदरेसी, चौदह घर सयार नल खेड़ा, गौ शाला बालाघाट, सदावरत कटी घाटी, फोटरेस छत्रि उमरकोट, कोटेश्वर बाग, फूल बाग, देवी मंदिर नयागांव, समाधि ऑफ स्व.माधव राव सिंधिया और हस्सू डॉग जो कि सरदार साहब के बाग के अंदर स्थित है। निजी संपत्तियों के अलावा बाकी सारी सिंधिया राजघराने की संपत्तियां राज्य सरकार की हो गई। इसके बाद अगर कहीं कब्जा कर, नामांतरण कर अगर ऊपर दर्शाई गई संपत्ति के अलावा सिंधिया राजघराने द्वारा जमीन का सौदा अवैध होगा। पर इसके बाद ही सिंधिया द्वारा अवैध अतिक्रमण सरकारी तंत्र का दुरूपयोग कर अपने क्षेत्र के जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाना इसके साथ ही ग्वालियर शहर में कईयों संपत्तियों पर कब्जा करने की बार चेष्टा की गई। इसी तारतम्य में राजमाता विजयराजे सिंधिया ने वी. विश्वनाथन गृह मंत्रालय भारत सरकार को चिट्ठी लिखी गई। जिसमें बहुत सारे मानचित्रों को सिंधिया राजघराने द्वारा सौंपी गई निजी संपत्तियों की सूची जो उन्होंने 1948 में जमा की थी, उस पर मानचित्रों का नया उल्लेख बताया गया। जिस पर केन्द्र सरकार ने पत्र क्रमांक एफ 05/28/68 पॉलिटिकल, दिनांक 16/10/1968 को मध्यप्रदेश सरकार को लिखा गया। इस पत्र के बाद राज्य सरकार के उप सचिव ओमप्रकाश मेहरा पत्र के क्रमांक 469/3096/1 सामान्य प्रशासन विभाग 11 फरवरी 1969 को

अवैध कब्जा करवाना पेशा बन गया है।

बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकारी जमीन को लेकर हमेशा निशाने पर रहते हैं। अपंजीकृत सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के माध्यम से बेचकर करोड़ों रुपयों की अवैध वसूली भी कर डाली

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

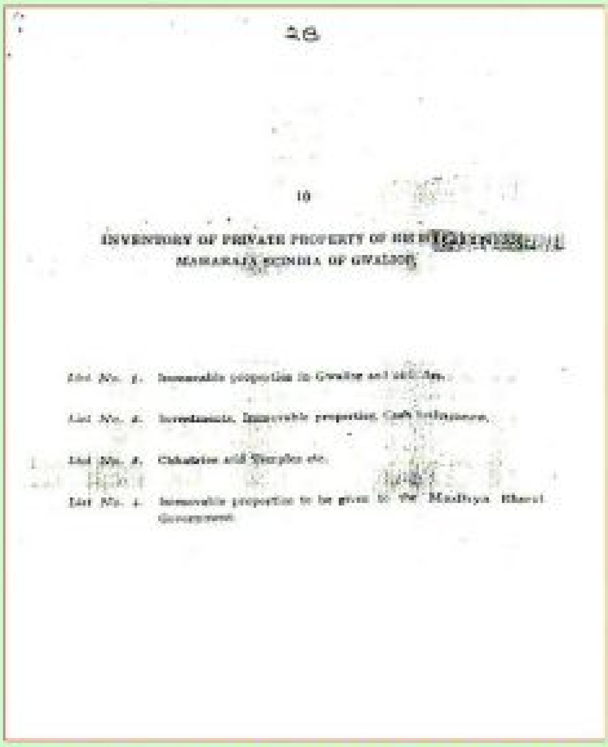

INVENTORY OF PRIVATE PROPERTY OF HIS HIGHNESS ... MAHARAJA SCINDIA OF GWALIOR

List No. 1. Immovable properties in Gwalior and ...

List No. 2. Investments, Immovable properties, Cash ...

List No. 3. ... and Temples etc.

List No. 4. Immovable properties to be given to the Madhya Bharat Government.

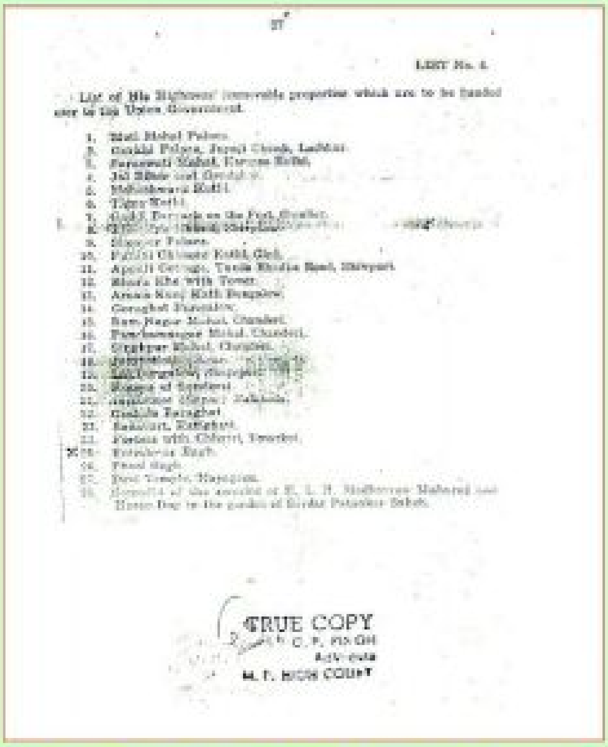

LIST No. 4.

List of His Highness' immovable properties which are to be handed over to the Union Government.

1. Moti Mahal Palace.

TRUE COPY

M. P. HIGH COURT

सूची क्रमांक-4 में सिंधिया स्टेट की कुल 28 निजी सम्पत्ति की सूची भारत सरकार को सौंपी। सरकार सही जांच करें कि सिंधिया और उनके ट्रस्ट ने इन 28 निजी सम्पत्ति के बाद कितने शून्य बढ़ा लिये हैं उससे साबित हो जायेगा कि पूरे देश में इनसे बड़ा भू-माफिया कोई नहीं है

एम.एस.सदाशिवम, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को लिखा गया। इस पर में मध्यप्रदेश सरकार ने ग्वालियर कलेक्टर के माध्यम से संपत्ति के मानचित्र के आधार पर परीक्षण किया और यह पाया कि सूची एवं मानचित्रों में दर्शाये गये संपत्ति में काफी अंतर है। इस पर राज्य के विधि विभाग से भी राय मांगी गई, जिसकी राय निम्नानुसार है- प्रसंविदा, को Covenant के आर्टिकल 12 (2) व 12 (3) से स्पष्ट है कि शासक अपनी निजी संपत्ति की सूची इंवेंटरी, राज्य प्रमुख को 1 अगस्त, 1948 से पूर्व देगा। इसी संपत्ति के बाद विवाद आने पर उसका निराकरण हेतु भी प्रावधान है परंतु यह निराकरण के लिये रेफरेंस 1 जुलाई, 1949 के उपरांत नही किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि इंवेंटरी में जो जायदात शासक की दर्ज है वही उसकी निजी संपत्ति होगी। इंवेंटरी के अलावा दूसरे कोई भी कंडिसंस पर शासक की निजी संपत्ति नही कही जा सकती। केन्द्रीय शासन के पत्र दिनांक 16/10/1968 से भी यह स्पष्ट है केवल स्वीकृत सूची के आधार पर शासक की निजी संपत्ति ठहराई जा सकती है। इस पत्र में यह भी उल्लेखित है। यदि स्वीकृत सूची में निजी संपत्ति का विवरण पर्याप्त न हो तो दिगर दस्तावेजी साक्ष्य का आधार केवल स्वीकृत सूची को समझने हेतु ही लिया जा सकता है, परंतु ऐसी सम्पत्ति जो स्वीकृत सूची में न हो वह दीगर अभिलेख में शामिल हो तथा शासक का उस पर कब्जा भी हो। उसे शासक की निजी संपत्ति नही कहा जा सकती।

है। माहोरकर के बाड़ा पर सिंधिया परिवार के द्वारा अवैध कब्जा किया गया और इसके अधिकांश हिस्से को बेच दिया गया और जो हिस्सा बचा उस पर अवैध निर्माण कर किराया वसूली की जा रही है। इस संपत्ति की कीमत लगभग 360 करोड़ रुपए बताई जा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

रही है। यह जमीन इन्वेंटरी की सूची क्रमांक 4 में दर्ज नहीं है फिर भी अधिकारियों से सांठ-गांठ कर इस संपत्ति को सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के नाम दर्ज करा लिया गया और इसे एक-एक करके बेचा गया, यह जयविलास पैलेस से लगा हुआ रकबा नंबर 642 के रूप में अंकित है।

18 महीने की कमलनाथ सरकार को मप्र की सत्ता से बाहर करने वाले

ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए काले कारनामों को लेकर कमलनाथ सरकार ने ईओडब्ल्यू में जांच शुरू की थी। लेकिन बीजेपी का दामन थामने के बाद शिवराज सरकार ने उन्हें तोहफे के तौर पर इस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए काले कारनामों को लेकर कमलनाथ सरकार ने ईओडब्ल्यू में जांच शुरू की थी। लेकिन बीजेपी का दामन थामने के बाद शिवराज सरकार ने उन्हें तोहफे के तौर पर इस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार इन दोनों ही मामलों को सबूतों के अभाव में खत्म किया जा चुका है। पहले मामले में 26 मार्च

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भूतेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिद्ध नज़र

पहले पुजारी पर चाकू से हमला करवाया, अब पुजारी के घर पर ताला डलवा दिया

सिंधिया राजघराने के मौजूदा वारिस बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर क्षेत्र की शासकीय और धार्मिक स्थल की जमीनों पर गिद्ध नजर बनाए हुए हैं। पिछले तीन साल में ही सिंधिया ने हजारों एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से या तो बेच दिया है या फिर अपने फर्जी ट्रस्टों के नाम करवा लिया है। अपने राजनीतिक रसूख के चलते ज्योतिरादित्य ने प्रशासकीय अमले की मदद से बहुत बड़ा गोरखधंधा चला रखा है।

शासकीय जमीनों के साथ-साथ अब उनकी नज़र धार्मिक स्थल की जमीनों पर भी आ गई है। ताजा मामला ग्वालियर शहर के प्रसिद्ध और पुरातत्व मंदिर भूतेश्वर महादेव मंदिर का है। यह मंदिर इतना पुराना है कि पिछली 3-4 पीढ़ियों से इस मंदिर के पुजारी मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं और इसी मंदिर की जमीन पर बने छोटे से घर में रह रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य ने इस घर पर भी प्रशासन से ताला डलवा दिया है। वर्तमान में पुजारी का परिवार कई महिनों से खुले आसमान में घर के आँगन में रहने का मजबूर है और अपने हक की लड़ाई के लिए धरने पर बैठा है। इस मंदिर में कई एकड़ जमीन है। इसमें से काफी जमीन तो पहले ही सिंधिया ने स्वयं के देवस्थान सिंधिया ट्रस्ट के नाम पर करवा ली है। अब जो कुछ भी जमीन बची है उसे भी इसी ट्रस्ट के नाम पर करवाना चाहते हैं। गौरतलब है कि यह जमीन बहुत बेशकीमती जमीन है। इसी जमीन के चक्कर में सिंधिया के गुण्डों ने एक दशक पहले मंदिर के प्रमुख पुजारी पर चाकू से हमला करवाया था, जिसमें पुजारी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुजारी की पत्नि चंद्रवति शर्मा

2014 को ईओडब्ल्यू को एक आवेदन दिया था, जिसमें आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके परिजनों द्वारा 2009 में महलगांव, ग्वालियर की जमीन (सर्वे क्रमांक 916) खरीदकर रजिस्ट्री में काट-छांट करके आवेदक उसकी 6 हजार वर्गफीट जमीन

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

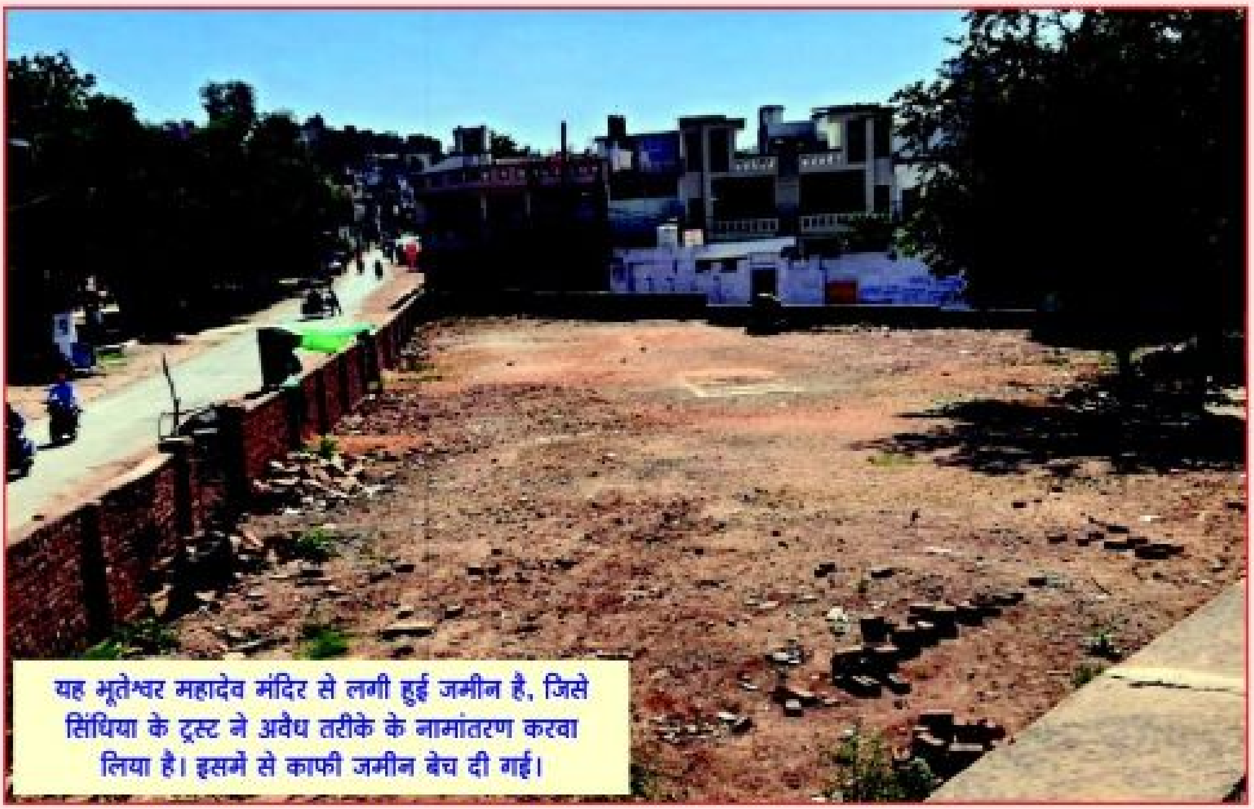

यह भूतेश्वर महादेव मंदिर से लगी हुई जमीन है, जिसे सिंधिया के ट्रस्ट ने अवैध तरीके के नामांतरण करवा लिया है। इसमें से काफी जमीन बेच दी गई।

मंदिर की पुजारन हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरकार बनी तबसे इस जमीन पर नज़र बनाए हुए हैं। अब भी वह अपने राजनीतिक रसूख के चलते कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करते रहे हैं।

सब जानते हैं कि मंदिर की जमीन का मालिक स्वयं भगवान होते हैं और इस जमीन का कोई वारिस नही हो सकता है। इसे न कोई खरीद सकता हे और न ही कब्जा कर सकता है। शासकीय रिकार्ड में भी यह जमीन 1930 से माफी औकाफ के नाम पर दर्ज है, जिसमें पहले के पुजारी रहे उनका नाम दर्ज है। इस हिसाब से पुजारी को ही पूजा करने का अधिकार है, जिसे परवाना कहते हैं। इस जमीन के खसरे में पुजारी का नाम दर्ज है। अब इस नाम को हटा दिया गया है। 2006 में तहसीलदार ने एक पत्र भेजा था जिसमें जिक्र किया गया था कि मंदिर में कोई पुजारी नही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे देवस्थान सिंधिया ट्रस्ट में नाम दर्ज करा लिया है। मंदिर का पुजारी परिवार जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। न्यायालयों ने अपने आदेश में कहा कि यह जमीन औकाफ की है और औकाफ में रहेगी। जबकि सिंधिया ने कहा था कि मंदिर के पुजारी किरायेदार हैं। वहीं कोर्ट ने इन्हें किरायेदार न मानकर मालिक ही माना है। बावजूद उसके सिंधिया के दबाव में पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने 2020 में पुजारी के परिवार को घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला लगा दिया है। जब से यह परिवार घर के ऑगन में रहने को मजबूर है वर्तमान में इस मामले की एक रिट हाईकोर्ट में पेंडिंग है।

कम कर दी थी। एक अन्य मामले में सिंधिया देवस्थान के चेयरमैन व ट्रस्टियों द्वारा शासकीय भूमि (सर्वे क्रमांक 1217) को प्रशासन के सहयोग से फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस जमीन को बेचने का आवेदन भी 23 अगस्त 2014 को ईओडब्ल्यू को दिया था।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लश्कर जिला ग्वालियर

यह वह पत्र है, जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर ने अमन शर्मा, पुत्र स्व . शंभुनाथ शर्मा को भूतेश्वर महादेव मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था।

लॉकडाऊन के दौरान तहसीलदार ने भूतेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी के घर पर कार्यवाही कहते हुए घर को सील कर ताला डाल दिया था। यह कार्यवाही 30/06/2020 को हुई थी।

विवाद की वजह जमीन है- भूतेश्वर मंदिर की करीब 19 बीघा जमीन है। यह 1930 से औकाफ विभाग के देवस्थान भूतेश्वर मंदिर के नाम पर दर्ज है। इसमें लगभग 4 बीघा नगर निगम क्षेत्र ग्वालियर में और अन्य 15 बीघा अन्य स्थानों में स्थित है। पुजारी परिवार आरोप लगा रहा है कि सिंधिया ट्रस्ट ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज से पहले भी जमीन बेची है। अब मंदिर से लगी 19 बीघा भूमि को खाली कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

यह भी हैं आरोप- ग्वालियर स्टेट के समय से भूतेश्वर महादेव मंदिर औकाफ विभाग की मिल्कियत है। इस मंदिर की भूमि मुन्जवता ऐहतमाम महकमा औकाफ रियासत ग्वालियर दर्ज है। औकाफ में सन् 1930 में उपरोक्त देवस्थान पर दर्ज है। इसका प्रबंधक कलेक्टर ग्वालियर दर्ज है। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट एक अपंजीकृत ट्रस्ट है, जबकि मप्र राजपत्र 18 मार्च 1971 की अधिसूचना द्वारा इस ट्रस्ट को 1968 में मप्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के प्रावधानों से जो छूट दी गई थी वह 18 मार्च 1971 के गजट द्वारा निरस्त की जा चुकी है। उच्च न्यायालय ने 1971 की अधिसूचना को कायम रखते हुए देवस्थान ट्रस्ट की याचिका निरस्त कर दी गई। उसके बाद से सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर में रजिस्टर्ड नहीं है।

600 करोड़ की जमीन ज्योतिरादित्य सिंधिया की या सरकारी, केंद्र को पक्षकार बनाने पर मांगा जवाब- ग्वालियर के सामाजिक कार्यकर्ता ऋषभ भदौरिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया चेरिटेबल और कमलराजा चेरिटेबल ट्रस्ट

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मंदिर के पुजारी परिवार से बातचीत करती हुई जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक

जब तक जिंदा हैं मंदिर में ही रहेंगे

जब तक हमारे वारिस जिंदा रहेंगे, तब तक मंदिर की जमीन पर ही रहेंगे। क्योंकि हमारी 3-4 पीढ़ियां मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। हमें कैसे जबर्दस्ती भगाया जा सकता है। हमारे हक की बात तो कोर्ट भी कर रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जबर्दस्ती डरा, धमकाकर हमें बाहर कर रहे हैं। सिंधिया का आंतक इतना है कि हम लोग दहशत में हैं। सिंधिया ने मंदिर परिसर की खाली जमीन को किराये पर दे दिया है। और किराया भी वसूल रहे हैं। मेरे पति पर चाकुओं से हमला करवाया, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मेरे ससुर को भी इतना धमकाया कि उन्होंने कुंए में कूदकर आत्म हत्या कर ली। पहले तक मंदिर के बाहर कोई बोर्ड नही लगा था। दो साल पहले ही मंदिर की दीवार पर एक पत्थरर चिपका रखा दिया है, जिसमें लिखा है कि यह मंदिर ट्रस्ट का है। आज हम न्याय के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। हमारे घर पर ताला डलवा दिया। हम खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। यदि हमें यहां से भगा दिया तो हम भूखे मर जाएंगे।जब तक हमें न्याय नही मिलेगा, हम धरने पर बैठे रहेंगे। मार्च 2018 में भी आर्डर हो गया है कि हम लोग मंदिर की जमीन का उपयोग कर सकते हैं, फिर क्यों यहां से जाएं। आज हमारी मदद पड़ोस के लोग कर रहे हैं। हम तो खुले आसमान में रह रहे हैं। प्रशासन हमारी बात नही सुनता है।

चंद्रवति शर्मा, पुजारन, भूतेश्वर महादेव मंदिर, ग्वालियर

के नाम की गई जमीन के मामले में जनहित याचिका दायर की है। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्रस्टों के नाम करीब 600 करोड़ रुपये की 100 बीघा से ज्यादा जमीन किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अमन शर्मा से बातचीत करती हुई जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक

हम मर जाएंगे लेकिन यहां से जाएंगे नहीं

इस मंदिर में हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियां गवां दी हैं और हम भी यहीं पर पले-बढ़े हैं। अब हमें जबर्दस्ती बाहर निकाल दिया गया है। मेरे पिताजी की हत्या भी मंदिर के कारण हुई है। सिंधिया परिवार मंदिर की जमीन को हड़पना चाहता है। वैसे भी काफी जमीन तो उन्होंने अपने स्वयं के ट्रस्ट के नाम कर ली। अब हमारे घर पर भी नज़र गढ़ा ली है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर दी है। जिसमें कहा गया है कि हम ही इसके हकदार हैं। मेरे पास 2010 का पुजारी होने का नियुक्ति पत्र है। हाईकोर्ट ने भी सिंधिया को मालिक नहीं माना है। यह तो सरासर अन्याय है और मंदिर की जमीन हड़पने का षड़यंत्र है। प्रशासन भी सिंधिया परिवार की मदद कर रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन यहां से जाएंगे नहीं। आज हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान है। न्याय के लिए दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं। हमारी रोजी-रोटी छीनने की नौबत आ गई है। पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ है। हमें इसलिए परेशान किया जा रहा है कि हम डर कर खुद ही यहां से चले जाएं।

अमन शर्मा, स्व. शंभुनाथ शर्मा का पुत्र

सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से केंद्र सरकार व तत्कालीन एसडीएम को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का आवेदन दिया। इस पर हाई कोर्ट ने मप्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सिंधिया के ट्रस्टों के नाम की गई जमीन

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सरकारी है। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की कि मामले में केंद्र सरकार का पक्ष सुना जाए, क्योंकि जिन 22 सर्वे नंबरों की 100 बीघा से ज्यादा जमीन सिंधिया के ट्रस्टों के नाम की गई है, उनका केंद्र सरकार व ग्वालियर की पूर्ववर्ती सिंधिया रियासत के बीच हुए प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेख है या नहीं, यह केंद्र ही बता सकता है। तभी तय हो सकता है कि वह जमीन किसकी है। इस पर मप्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा।

इस बीच हाई कोर्ट ने सवाल किया कि किसी को पक्षकार बनाने के लिए जवाब की क्या जरूरत है? जब रघुवंशी ने दोबारा समय देने की मांग की तो हाई कोर्ट ने एक सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दे

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सिंधिया परिवार का माहोरकर बाड़ा पर कब्जा

360 करोड़ का महाघोटाला

भू-माफिया सिंधिया परिवार के दामन पर एक और बहुत बड़े महाघोटाले का दाग लगा है। सिंधिया परिवार ने माहोरकर बाड़ा पर कब्जा कर इस बेशकीमती जमीन को बेच डाला है। इस बाड़े की कीमत लगभग 360 करोड़ रूपए है। यह पूरा कारनामा बीजेपी सांसद सिंधिया परिवार की सरपरस्ती में हुआ है। दिलचस्प है कि कोवेनेंट (Covenant) की लिस्ट क्रमांक-4 इनवेंटरी में माहोरकर का बाड़ा का कही उल्लेख नही था। मतलब साफ है कि ग्वालियर के पूर्व राजघराने की व्यक्तिगत संपत्ति की सूची मे शामिल नही है फिर भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस पर अवैध कब्जा जमा लिया। अवैध निर्माण कर आज भी वहां से किराया वसूली हो रही है। यह बाड़ा जयेन्द्रगंज पर स्थित है। बाड़ा का क्षेत्रफल 8 बीघा 2 बिस्वा है। माहोरकर का बाड़ा सिंधिया की लिस्ट में नही था। माहोरकर के बाड़े में 1960 में माधवराव सिंधिया ने कब्जे में लेकर ट्रस्ट में मिलाया।

इनवेंटरी की सूची क्रमांक-1 में जयविलास पैलेस की जो बाउण्ड्री स्पष्ट की गई है, उसमें माहोरकर का बाड़ा शामिल नहीं है। पैलेस के बाहर भवन क्रमांक 642 बाड़े के नबंर के रूप में अंकित है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ग्वालियर गर्वमेंट ने 76,000 रूपये में सरकारी खजाने से भुगतान कर लिखतम (लिखापढ़ी) क्रमांक-715/1918 को करवाई थी। जिसका कब्जा पी.डब्यू.डी. के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया गया और ग्वालियर गवर्मेंट के जानवरी कारखाने के रूप में इसे शामिल कर लिया गया था। इस लिहाज से यह बाड़ा मध्य-भारत, उसके बाद मध्यप्रदेश और बाद में नगर निगम की संपत्ति में शामिल हो गया। सन् 1960 में सिंधिया देवस्थान ट्रस्टि ग्वालियर द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद नामांतरण के लिये नगर निगम ग्वालियर में एक अर्जी दी गई जिसे कमिश्नर ने निरस्त कर दिया। पुनः देवस्थान ट्रस्ट ने नगर निगम में अर्जी लगाई इसके बाद नामांतरण इनके नाम कर दिया गया। कलेक्टरर के द्वारा अपील की गई एवं केस रिमाड और उसमें देवस्थान का नाम हटाकर अभिलेखों में जानवरी कारखाना अंकित कर दिया गया। इसके बाद इसका प्रश्न मध्यप्रदेश विधानसभा में भी उठा और ग्वालियर कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद विधानसभा में इसको शासकीय माना गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसका महाराजा से कब्जा वापस लेने तथा वसूला गया किराया वापस लेने का आदेश हुआ। सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 6589/1022/I (1) दिनांक 29/1975

दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन को रिकॉर्ड पर ले लिया है। बता दें कि

ग्वालियर के सामाजिक कार्यकर्ता ऋषभ भदौरिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया चेरिटेबल

और कमलराजा चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम की गई जमीन के मामले में जनहित याचिका

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

माहोरकर बाड़ा से संबंधित दस्तावेज

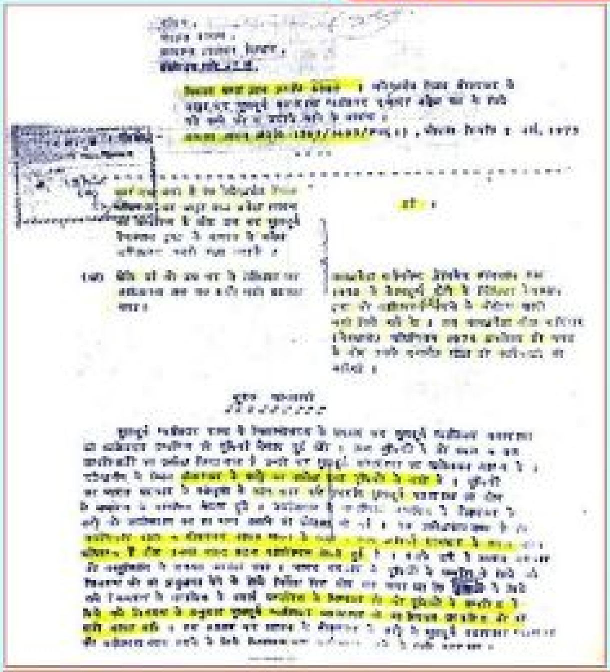

प्रश्न क्रमांक 4060 मध्यप्रदेश विधान सभा में माहोरकर के बाड़े पर अवैध कब्जे के संबंध में कलेक्टर ने पूरक जबाव में लिखित जानकारी दी कि माहोरकर का बाड़ा सूची क्रमांक 4 में नहीं है एवं यह सरकारी सम्पत्ति है इसमें सिंधिया का अवैध कब्जा है।

जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के के.एम.शरण द्वारा विधि विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट संलग्न थी उसमें कब्जे को अवैध दिखाया गया एवं पूर्व का किराया वसूलने की अनुशंसा की गई तथा कलेक्टर को कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। इसके बावजूद अभी तक सरकार को कब्जा नही दिया गया। हद तो यह हो गई है कि इस शासकीय जमीन को सिंधिया द्वारा बेच भी दिया गया और आज यहां शादी गार्डन इत्यादि बने हुए हैं और आज दिनांक तक संपूर्ण किराया सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट वसूल करता है। पिछली कांग्रेस सरकार में माहोरकर का बाड़ा देवस्थान ट्रस्ट के नाम पर असंवैधानिक रूप से चढ़ा दिया गया। ग्वालियर राजघराने ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर अपने अपंजीकृत देवस्थान ट्रस्ट में 10 मार्च, 1969 को इस रजिस्टर्ड भी करवा लिया, यह कैसे संभव हुआ?

यही नहीं 22 दिसम्बर, 1964 से अवैध रूप से अधिपत्य में ली इस संपत्ति से किराया वसूली भी प्रारंभ कर दी गई, जो पूर्णत:अवैधानिक थी। देवस्थान ट्रस्ट ने नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से इसका नामांतरण भी करवा लिया, जिसे 6 दिसम्बर, 1975 को तत्कालीन नगर निगम आयुक्त ने निरस्त कर दिया। यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब मानचित्र 813/51 में बना, इनवेंटरी में इसका कोई हवाला नहीं है, तो नक्शा इनवेंटरी का पार्ट कैसे हो गया? 20 अगस्त, 1964 को राजमाता स्व. विजयराजे सिंधिया ने भारत सरकार के सचिव गृह मंत्रालय वी. विश्वनाथन को लिखे एक शिकायती पत्र में कहा कि हमारे आधिपत्य की जमीनों पर प्रशासन रोक लगा रहा है। इस शिकायत के पश्चात महल के अधिकारियों और राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई संयुक्त्य जांच में माहोरकर का बाड़ा सर्वे क्रमांक-576-577 न केवल नगर निगम के आधिपत्य में होना पाया गया बल्कि प्रकरण क्रमांक- 10/69:13/11 आदेश दिनांक 15 अक्टूबर, 1969 द्वारा आयुक्त, नगर निगम ने नामांतरण करने से भी इंकार कर दिया।

ट्रस्ट के मैनेजर द्वारा राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र देने पर प्रकरण पुन: प्रारंभ हुआ और राजस्व अधिकारी द्वारा पारित

दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि शहर के सिटी सेंटर, महलगांव ओहदपुर, सिरोल की सरकारी जमीन को राजस्व अधिकारियों ने उक्त दोनों ट्रस्टों के नाम कर दिया है। भदौरिया ने आरोप लगाया है कि उक्त जमीन की बाजार कीमत

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

माहोरकर बाड़ा से संबंधित दस्तावेज

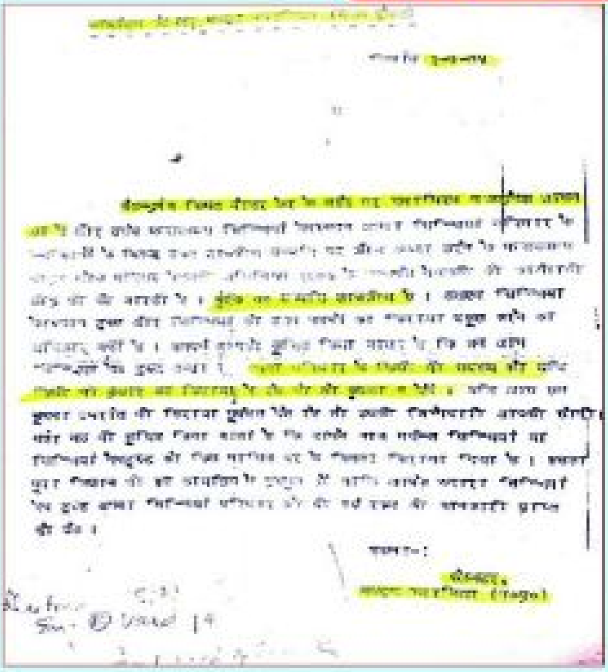

कलेक्टर ने उक्त पत्र में माना कि माहोरकर के बाड़े पर अवैध कब्जा है एवं इससे किराया लिया जा रहा है।

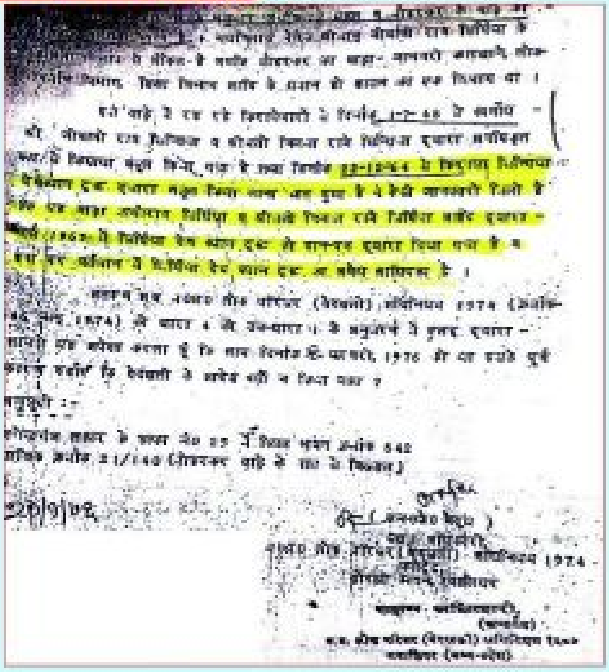

मध्यप्रदेश लोक परिसर के अधिकारी एम.के. वैद्य ने अपने पत्र में शासन को अवगत कराया कि माहोरकर के बाड़े में सिंधिया ट्रस्ट को दान-पत्र के द्वारा दिया हुआ है एवं उस सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट का अवैध कब्जा है।

आदेश 03 मार्च, 1972 द्वारा नामांकन स्वीकार कर लिया गया जिस पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को अपील की गई जिसके अंतर्गत अपील आदेश 02 जून, 1975 के द्वारा दोनों पक्षकारों को पुनः सुनवाई हेतु 05 जून, 1975 को उपस्थित होने का कहा गया। देवस्थान ट्रस्ट विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-10/69::13/11 आदेश क्रमांक 06 दिसम्बर, 1975 द्वारा ट्रस्ट का नाम हटाकर जानवरी कारखाना मिल्कियत सरकार लिखने का आदेश पारित किया गया और अनुविभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी ग्वालियर ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1964 से किराया भी ट्रस्ट से वसूलने का आदेश जारी किया। डीओ लेटर 6589/1022/1 म.प्र. शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा 28 सितम्बर, 1975 रिमूव्हल ऑफ अनलॉफुल पजेशन ऑफ देवस्थान ट्रस्ट का पत्र तत्कालीन कलेक्टर आर.के. गुप्ता को भेजा गया। मध्यप्रदेश विधानसभा ने पूरक प्रश्न क्रमांक 4060 में भी राज्य, सरकार ने भूतपूर्व महाराजा ग्वालियर द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे और उसे न हटाये जाने की बात उल्लेखित की है। सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974, कलेक्ट्रेट, गोरखी, भवन ग्वालियर ने भी अपने पत्र में इस बाड़े में रह रहे किरायेदारों से दिनांक 01 सितम्बर, 1948 से स्व. जीवाजी राव सिंधिया व श्रीमती विजयराजे सिंधिया द्वारा अनाकृत रूप से किराया वसूल किये जाने तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 1964 से किराया सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट द्वारा वसूल किये जाने की जानकारी की स्वीकारोक्ति देते हुए यह भी कहा कि वह बाड़ा माधवराव सिंधिया व श्रीमती विजयराजे सिंधिया द्वारा वर्ष 1969 में सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को दान पत्र के द्वारा दिया गया है। वह यह पर वर्तमान में सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट का अवैध आधिपत्य है। लिहाजा कारण दर्शाये कि दिनांक 09 फरवरी, 1976 को या उसके पूर्व बेदखली के आदेश क्यों नहीं किये जाये? तत्कालीन कलेक्टर ने इसे शासकीय संपत्ति बताते हुए सिंधिया परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का किराया नहीं देने हेतु निर्देशित किया था। इसके बावजूद

करीब 600 करोड़ रुपये है, जिसे अधिकारियों ने हेराफेरी करने का षड्यंत्र रचा है। जमीन सरकारी होने के बारे में यह दी दलील याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीपी सिंह व अवधेश सिंह तोमर ने दलील दी कि जब देश आजाद हुआ था, तब तत्कालीन

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

माहोरकर बाड़ा से संबंधित दस्तावेज

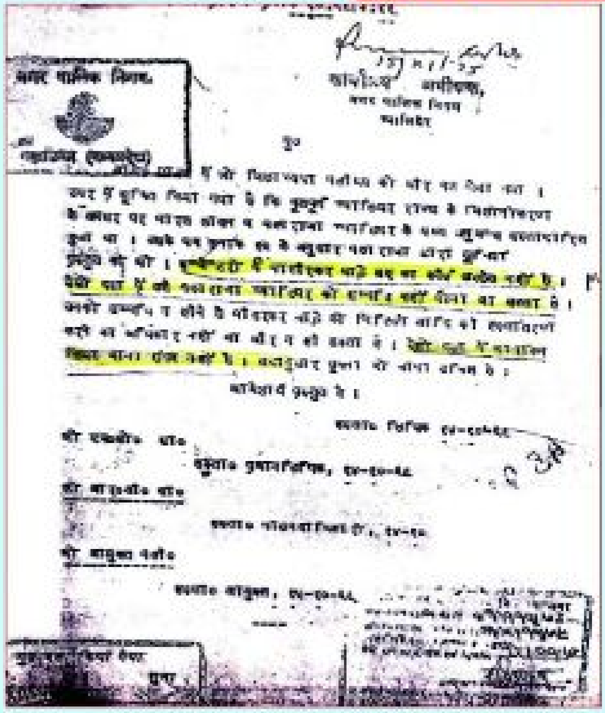

सिंधिया परिवार द्वारा माहोरकर के बाड़े का नामांतरण की कोशिश करने पर कलेक्टर ग्वालियर को आयुक्त नगर निगम ने अवगत कराया एवं टीप में जानकारी दी कि माहोरकर का बाड़ा सरकारी सम्पत्ति है एवं इसका नामांतरण नहीं हो सकता।

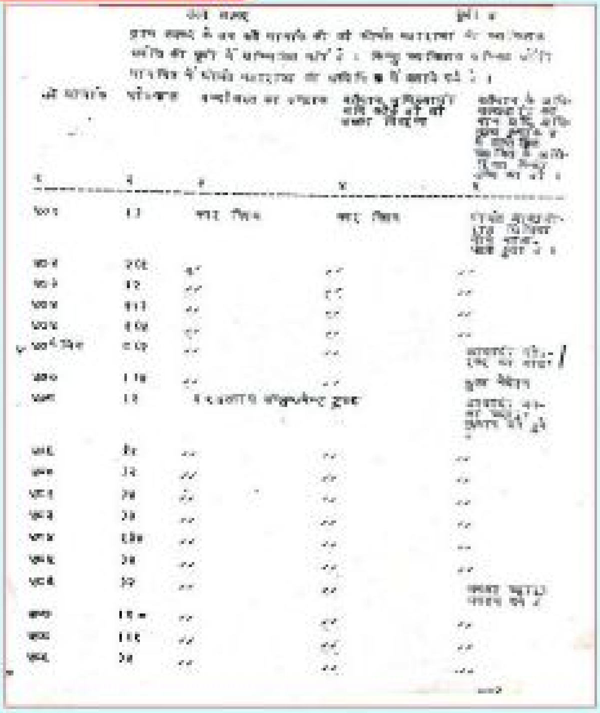

सरकार और सिंधिया ट्रस्ट ने साथ मिलकर संयुक्त रिपोर्ट जोकि केन्द्र सरकार को विवाद की स्थिति के बाद सौंपी गई थी उसमें माहोरकर का बाड़ा सरकारी सम्पत्ति के रूप में दिखाया गया।

ट्रस्ट द्वारा आज भी अवैध कब्जा कायम है और किराया वसूली भी जारी है। जिसे पर रोक लगाई जावे। उक्त सभी शासकीय आदेशों के उपरांत भी तत्कालीन तहसीलदार ग्वालियर ने अपने प्रकरण क्रमांक 16/87-अ.6 आदेश दिनांक 03.08.1988 द्वारा सिंधिया परिवार के आवेदन बिना ही इसका नामांतरण कर दिया जो घोर अनियमितता, घपले, घोटाले और आर्थिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाणिक उदाहरण है।राजमाता ने प्रार्थना पत्र देकर देवस्थान ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन से मुक्त करवाने के लिये दिया था और मुक्त करवा लिया था। 1/9/1969 में जब कांग्रेस सरकार आई तो श्यामा चरण शुक्ल की सरकार ने राजमाता के इस आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद राजमाता ने हाईकार्ट में रिट लगाई। और जस्टिस रैना और जस्टिस तारे द्वारा निर्णय लेकर मध्यप्रदेश सरकार के निर्णय को कायम रखा और राजमाता की इस अपील को खारिज कर दिया।

ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी जो डेढ़ साल पहले 2018 में कांग्रेस की जब सरकार आयी थी, तब उन्होंने माहोरकर का बाड़ा, गोरखी पैलेस को सिंधिया के ट्रस्ट के नाम पर नामांतरण कर दिया था। कमलनाथ सरकार में सिंधिया ने यह फर्जीवाड़ा किया है। उसके कुछ हिस्से को अपंजीकृत सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के माध्यम से बेचकर करोड़ों रूपयों की अवैध वसूली भी कर डाली है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवीराजे सिंधिया, पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, नेपाल राजपरिवार की ऊषाराजे राणा, सुषमा सिंह व बिग्रेडियर नरसिंहराव पवार ट्रस्टी हैं। यह विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा-13 (1) (डी) धारा-467, 468, 471 और 420 के तहत प्रकरण का अपराध है।

रियासतों का विलय किया गया था। तब रियासतों के राजाओं के साथ एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया था। इसमें कौनसी संपत्तियां राजा के पास रहेंगी और कौनसी सरकारी हो जाएंगी, यह तय किया गया था।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

देवस्थान सिंधिया ट्रस्ट है असंवैधानिक?

भारत के इतिहास में शायद सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ही एक ऐसा ट्रस्ट है जिसका रजिस्ट्रेशन दो जगह से है। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 1950 का बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में नम्बर ए-931 पूना के नाम से 5 फरवरी, 1958 को हुआ था। शुरूआत में देवस्थान ट्रस्ट की कुछ संपत्ति पंढरपुर में थी। इसके बाद 14/9/1992 में रजिस्ट्रेशन संख्या 1 अजमेर 1992 के नाम से राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम 1959 में सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट पुनः रजिस्टर्ड किया गया। एक ही ट्रस्ट को दो जगह से रजिस्ट्रेशन कानूनी दायरे में अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद भी संवित सरकार में देवस्थान ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन से मुक्त करा दिया गया था। पर श्यामा चरण शुक्ल की सरकार ने 1970 में इस आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट हाईकोर्ट में रिट दाखिल की, जिसमें जस्टिस रैना और जस्टिस तारे द्वारा इनकी रिट को निरस्त कर दिया गया। कुल मिलाकर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट का निर्माण ही गलत नियत से हुआ है। वर्तमान में देवस्थान सिंधिया ट्रस्ट के चेयरमेन ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं।

सेवानिवृत्त कमिश्नर ओमप्रकाश साराश्वत ने एक याचिका दायर करके जानकारी मांगी थी कि सिंधिया ट्रस्ट ग्वालियर में है कि नही। जानकारी में आया था कि सिंधिया ट्रस्ट ग्वालियर में नही है। जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जिस प्रदेश में और जिस जिले में रजिस्टर्र होता है, उसका कार्य क्षेत्र वही होता है। 12 जुलाई 1968 में राजमाता सिंधिया जो सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की चेयरमेन भी थी। राजमाता ने गलत जानकारी देकर कहा था कि हमारी संपत्ति दूसरे प्रदेश में भी है। हमें मध्यप्रदेश ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करने की छूट दी जाए। राजमाता सिंधिया ने पीआईएल पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। विवेक अग्रवाल जो हाईकोर्ट के जज थे ग्वालियर में उन्होंने आदेश में कहा था कि आपका ट्रस्ट अगर प्रदेश में रजिस्टर्ड है तो इसका यहां कोई औचित्य नही है और याचिका खारिज कर दी। फिर उन्होंने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई।

वर्तमान में जमीनों का गोरखधंधा देवस्थान सिंधिया ट्रस्ट के माध्यम से ही हो रहा है। वह चाहे माहोरकर का बाड़ा जमीन घोटाला हो, भूतेश्वर महादेव मंदिर जमीन का मामला हो या अन्य जमीनों के मामले हों, सभी के सभी इस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जिस भूमि पर सिंधिया की गिद्ध

अन्य ट्रस्ट-

- पदमा राजे सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- उषा राजे सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- वसुंधरा राजे सिंधिया पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- कमला राजे सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- यशोधरा राजे सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- जय विलास ट्रस्ट, सिंधिया पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- जयाजी राव सिंधिया पब्लिक, वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- जनकोजी राव ट्रस्ट सिंधिया पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- ज्योतिरादित्य सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- गोरखी ट्रस्ट, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- चिनकोजी राजे सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- रंगमहल ट्रस्ट सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- मून्न महल ट्रस्ट, सिंधिया पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- महादजी सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्डा चेरिटेबल ट्रस्ट
- सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट, सिंधिया पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- मोतोश्री गजराजे, सिंधिया पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- महारानी जीयाजी ट्रस्ट, सिंधिया पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- गजराजा सिंधिया, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- समुद्र महल बाम्बे, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- सरया राजे धर्मशाला, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट
- सिंधिया कलर एण्ड डबलाय मेंट ट्रस्ट, पब्लिक वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट

इसी सिलसिले में 30 अक्टूबर 1948 को केंद्र सरकार व तत्कालीन सिंधिया राजघराने के बीच एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार हुआ था। भदौरिया ने कहा कि उक्त 100 बीघा से ज्यादा जमीन को सिंधिया के दो ट्रस्टों के नाम किया गया है, वह प्रतिज्ञा पत्र में नहीं हैं। ये

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

देवस्थान सिंधिया ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज

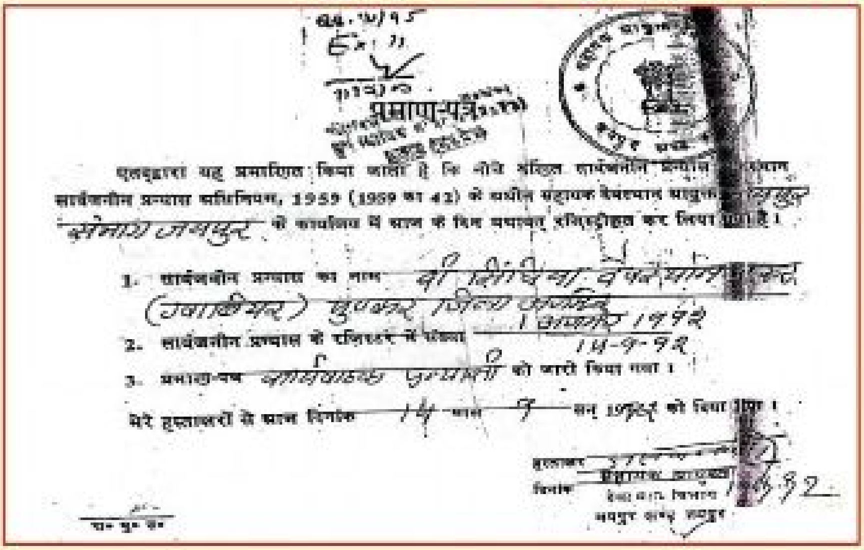

प्रमाण-पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास ... सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक देवस्थान आयुक्त ... के कार्यालय में आज के दिन यथावत् रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

1. सार्वजनिक प्रन्यास का नाम ...
2. सार्वजनिक प्रन्यास की रजिस्टर में संख्या ... 14-9-92
3. प्रमाण-पत्र ... को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षरों से आज दिनांक 14 मास 9 सन् 1992 को दिया गया।

हस्ताक्षर ...
दिनांक ...
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जयपुर

सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट देश का पहला फर्जी ट्रस्ट होगा जिसके दो अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन दर्ज है। इससे यह सिद्ध होता है कि सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की बुनियाद ही गलत है। सरकार को इस ट्रस्ट को तुरंत भंग कर इसकी सारी सम्पत्ति राजसात की जाना चाहिए। मध्यप्रदेश के बाहर रजिस्टर्ड संस्था होते हुए भी बेधड़क तरीके से मध्यप्रदेश में

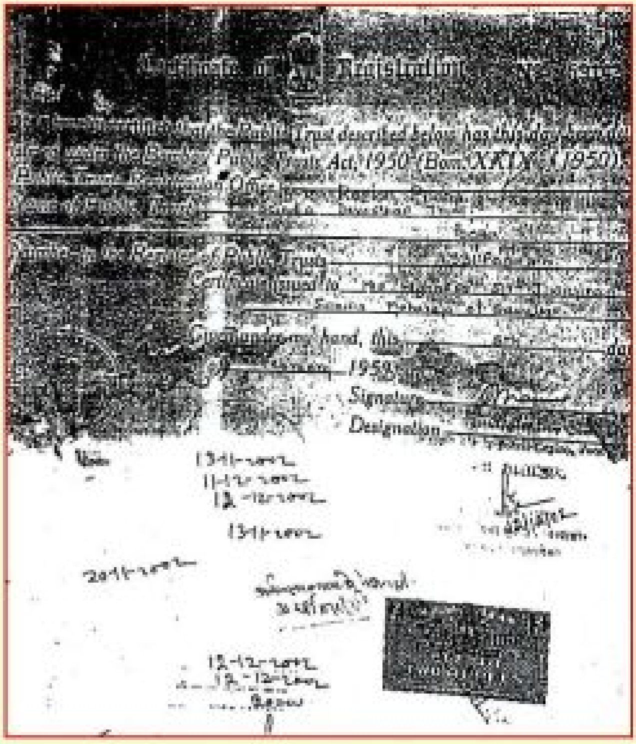

Certificate of Registration

... Public Trust described below has this day been ... under the Bombay Public Trusts Act, 1950 (Bom. XXIX of 1950) ...

Public Trusts Registration Office ...

Certificate issued to ...

Given under my hand, this ... 1950

Signature ...

Designation ...

नज़र पड़ रही है उस जमीन को सिंधिया ट्रस्ट में शामिल करा लेते हैं। यह कार्य पिछले कुछ महिनों में ज्यादा फल-फूल रहा है।

सन 1968 से 2005 तक रजिस्टर्ड सिंधिया परिवार के ट्रस्टों की सूची- अनुविभागीय कार्यालय ग्वालियर में संधारित अभिलेख अनुसार सूची में उल्लेखित ट्रस्टों के नाम से कुल- 4 ट्रस्ट न्यायालय से पंजीकृत हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है-

- महादजी चेरिटेबिल ट्रस्ट, जय विलास परिसर ग्वालियर के नाम से प्र.क्रं. 12/2002-03/बी-13 (1) आदेश दिनांक 3.11.2003 से पंजीयन क्रमांक 171 ।
- रंगमहल चेरिटेबिल ट्रस्ट, जय विलास परिसर ग्वालियर के नाम से प्र.कं. 13/2002-03/बी-13 (1) आदेश दिनांक 3.11.2003 से पंजीयन क्रमांक171 ।
- ज्योतिरादित्य चेरिटेबिल ट्रस्ट, जय विलास परिसर ग्वालियर के नाम से प्र.कं. 14/2002-03/बी-13 (1) आदेश दिनांक 3.11.2003 से पंजीयन क्रमांक 171 ।
- गोरखी चेरिटेबिल ट्रस्ट, जय विलास परिसर ग्वालियर के नाम से प्र.कं.15/2002-03/बी-13 (1) आदेश दिनांक 3.11.2003 से पंजीयन क्रमांक 171 ।

संपत्तियां शासकीय दर्ज हो गई थीं, इसीलिए केंद्र सरकार का भी पक्ष सुना जाए।

सिंधिया का शिवराज सरकार पर दबाव-भू-माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रियों को मलाईदार पद दिलवाये जाने के लिए कमलनाथ को 15 महिनों तक

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

100 करोड़ रूपये फिलोज जमीन घोटाला सिंधिया के ट्रस्ट ने फर्जी तरीके से करोड़ों की संपत्ति बेची

ग्वालियर के सर्वे क्रमांक 321 मिन-1 के अंतर्गत फिलोज़ कोठी और उससे लगी हुई भूमि जोकि करीब 5 बीगा के लगभग है। सरदार अगस्तन फ्रांसिस फिलोज़, जिनकी मृत्यु 1947 में हो गई थी तब से लेकर 2019 तक फिलोज़ के नाम पर ही थी। हालांकि बहुत बार इसका नामांतरण कराने की कोशिश की गई, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सिंधिया ने यह जमीन 1 करोड़ में बेच दी है। जोकि प्राय: कागजों में दिखाने के लिये किया जाता है। वास्तविक मूल्य कही ज्यादा होता है। इस कोठी एवं क्षेत्र को बेचने का अधिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके किसी भी ट्रस्ट में नही था, क्योंकि इसका उल्लेख लिस्ट क्रमांक 4 जोकि 1948 में बनाई गई शाही परिवार की निजी उपयोग कि संपत्ति में कही भी फिलोज़ कोठी एवं जमीन का उल्लेख नही था। अर्थात यह कोठी सरकार की थी जिस पर कब्जा करके सिंधिया और उनके ट्रस्ट ने गलत तरीके से बेच दिया।

गौरतलब है कि ग्वालियर क्षेत्र के शिंदे की छावनी स्थित कार्मल कान्वेंट स्कूल के पास 1,31,625 वर्ग फुट जमीन व इसमें बनी कोठी का वारिस आज सिंधिया परिवार है। इस जमीन व कोठी का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ है। सरकारी दस्तावेजों में यह कोठी अगस्टन फिलोज के नाम दर्ज है। फिलोज कोठी परिसर में 16 परिवार रह रहे हैं। आजादी के बाद अगस्तन परिवार इंग्लैण्ड चला गया। इस जमीन के कुछ हिस्सों की रजिस्ट्री 17 लोगों के नाम हो चुकी है। 30 अक्टूबर 1948 में मध्य भारत (मध्यप्रदेश) सरकार के गजट में सभी राजाओं को निर्देश दिए गए थे कि वह अपनी सारी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएं। इसमें कहा गया था कि एक जुलाई 1949 के बाद में कोई विवाद मान्य नहीं किया जाएगा। इसको

सरदार अगस्तन फ्रांसिस फिलोज़ जोकि सिंधिया राजवंश के सबसे वफादारों में आते थे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने वफादारों से भी गद्दारी कर दी। अगस्तन फिलोज़ की कोठी जोकि सरकारी सम्पत्ति है उसे भी अपने ट्रस्ट के माध्यम से विक्रय कर दिया।

परेशान किया और उसके बाद मामा शिवराज को भी सिंधिया ने विष पीने को मजबूर किया जा रहा है। यह पूरे प्रदेश और देश की जनता ने देखा सिंधिया के सभी मंत्री को सिंधिया उन्हें गुलाम बनाये रखने के लिये उनकी पीठ पर हाथ रखे हुये हैं। सिंधिया पढ़े

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

फिलोज जमीन से जुड़े दस्तावेज

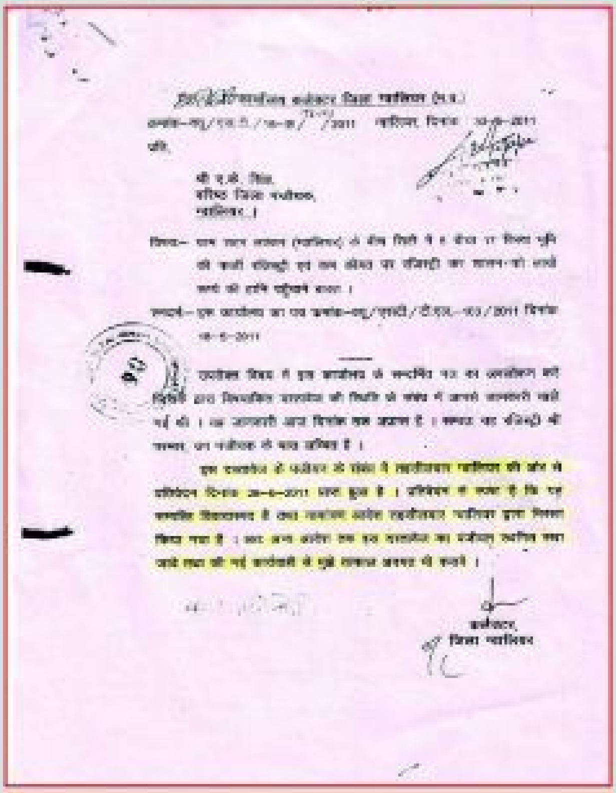

सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट द्वारा फिलोज कोठी की अवैध तरीके से नामांतरण कराने की कोशिश की जिसका कलेक्टर ने नामांतरण रद्द कर दिया।

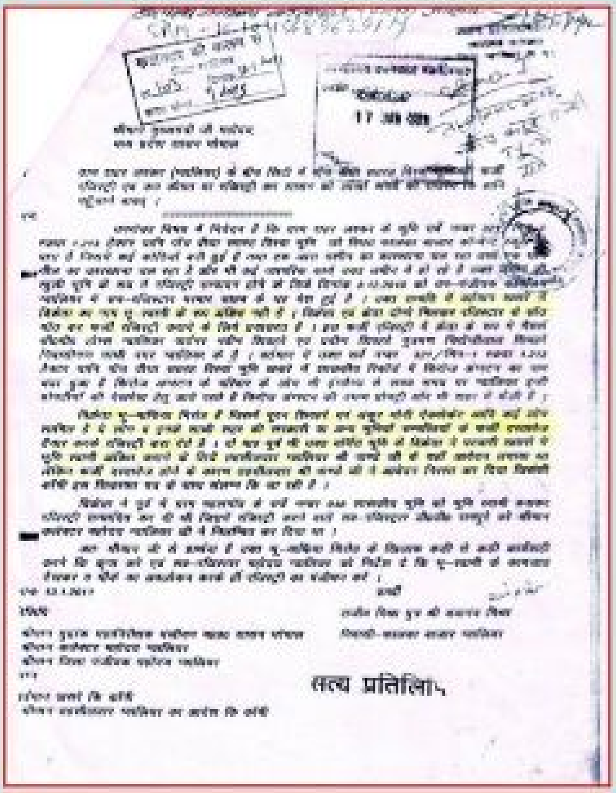

इस अवैध नामांतरण और बाद में सरकारी सम्पत्ति की बिक्री सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ने की जिसकी शिकायत पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी की गई थी।

देखते हुए ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा जीवाजीराव सिंधिया द्वारा दी गई सूची में जयविलास पैलेस व उसका परिसर, सखा विलास, सुसेरा कोठी, कुलैथ कोठी, कॉटेज हिल, टेकनपुर रिट्टी, माधव विलास पैलेस शिवपुरी, हैप्पी विलास शिवपुरी, छत्री परिसर, कालियादेह पैलेस उज्जैन,देहली कोठी, पदमा विलास पूना, सिंधिया घाट बनारस, विठोबा मंदिर गोवा सहित एक सैकड़ा से ज्यादा संपत्तियों का जिक्र था। इसमें मध्यप्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों में मौजूद संपत्तियां भी शामिल थीं। इसके अलावा लगभग डेढ़ सैकड़ा कंपनियों में शेयर होने की सूची भी सरकार को सौंपी गई थी। इसमें से कई संपत्तियां तत्कालीन सरकार को भी हैंड ओवर कर दी गई थीं लेकिन इन सभी संपत्तियों में इस जमीन और कोठी का कोई जिक्र नहीं था।

यह थे विक्रेता व क्रेता- यह संपत्ति ग्राम लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर के पटवारी हल्का नं. 67 में है। यह संपत्ति सर्वे क्रमांक 321 मिन-1 के अंतर्गत आती है। इस संपत्ति का कुल क्षेत्रफल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा है। इस संपत्ति को सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के मुख्तयार खास ब्रिगेडियर नरसिंह राव पंवार

लिखे योग्य व्यक्तियों को अपने साथ नही रख सकते क्योंकि वह चाटुकारिता और चरणों में कभी नही झुकेगा और न ही भू-माफिया भ्रष्टाचार के कामों में कभी भी साथ नहीं देगा। सिंधिया कांग्रेस शासन के 15 माह में शासकीय वरिष्ठ अधिकारियों को अपने

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

फिलोज जमीन से जुड़े दस्तावेज

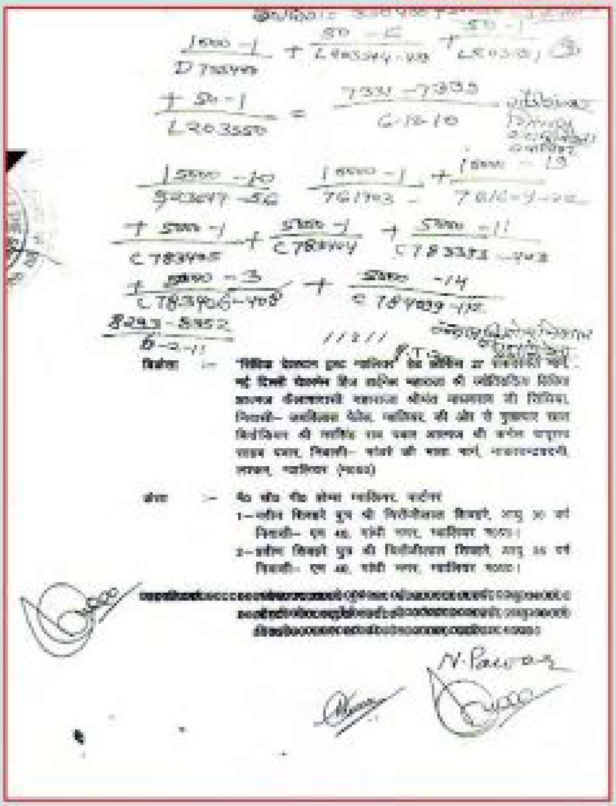

सरकारी सम्पत्ति जोकि फिलोज कोठी के नाम से थी उसे सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ने अवैध तरीके से विक्रय कर दिया। यह इस रजिस्ट्री से स्पष्ट है कि सिंधिया और उनके ट्रस्ट से बड़े प्रदेश में कोई भू-माफिया नहीं रहा है।

द्वारा विक्रय किया गया। वहीं खरीदने वालों में मेसर्स सीपी होम्स ग्वालियर की तरफ से नवीन शिवहरे व प्रवीण पुत्र चिरौंजीलाल शिवहरे शामिल हैं। इस जमीन को खरीदने के लिए एक करोड़ रूपये की रकम भी ट्रस्ट को दे दी गई है।

पहले भी हो चुकी हैं रजिस्ट्री - यह संपत्ति 28 मई 1985 को रहमान अली, श्रीमती अफसरी बेगम, जरीना बाई, हनीफ खां, श्रीमती जन्नत बेगम, निजामुद्दीन खां, सलीम खां, मोहम्मद खां, मोहम्मद वली, मुन्ने खां, अमीर हुसैन, अली हुसैन, श्रीमती नसीब बेगम, श्रीमती दाखश्री, खेमचंद्र, रामदास और लालराम के नाम रजिस्ट्री की जा चुकी है। ट्रस्ट की तरफ से तत्कालीन सचिव मालचंद प्रहलाद देशमुख ने विक्रेता बनकर इस रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस रजिस्ट्री में भी कहीं जमीन के सर्वे नंबर का जिक्र नहीं किया गया था। इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद इस जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई थी।

महल में बुलाकर किस अधिकार से मीटिंग ली? जबकि वे किसी भी पद पर नहीं थे। अपनी मर्जी के वरिष्ठ अधिकारी एवं यहां तक तक की पटवारी की नियुक्ति तक ग्वालियर चंबल संभाग में करवाई और उन अधिकारियों ने यदि सिंधिया के अनुसार

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

2018-19 में कांग्रेस सरकार के दौरान इन्हीं ट्रस्टों में सिंधिया ने अवैध जमीनों का नामांतरण करवाया

ग्राम महलगाँव, हल्का 61 महलगाँव, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

स.क्र.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	नाम
1.	398	0.1670	कमलाराजे ट्रस्ट द्वारा सचिव महेंद्र प्रताप सिंह पता निवासी जयविलास परिसर भूमि स्वामी
2.	302	0.0210	रामजानकी मंदिर
3.	419	0.0310	कमलाराजे ट्रस्ट
4.	420	0.0210	कमलाराजे ट्रस्ट
5.	421	0.2090	कमलाराजे ट्रस्ट
6.	396	0.3870	L.I.C.
7.	398	0.1670	कमलाराजे ट्रस्ट
8.	1235	0.1570	ज्योतिरादित्य चैरिटेबल ट्रस्ट
9.	1201	0.2300	ज्योतिरादित्य चैरिटेबल ट्रस्ट
10.	1236	0.1150	ज्योतिरादित्य चैरिटेबल ट्रस्ट
11.	1242	0.0520	ज्योतिरादित्य चैरिटेबल ट्रस्ट
12.	401	0.3550	कमलाराजे ट्रस्ट
13.	1243	0.3550	ज्योतिरादित्य सिंधिया
14.	402	0.0100	कमलाराजे ट्रस्ट
15.	403	0.0840	ज्योतिरादित्य, चित्रांगदाराजे, माधवीराजे सिंधिया
16.	406	0.4080	ज्योतिरादित्य, चित्रांगदाराजे, माधवीराजे सिंधिया
17.	415	0.6370	कमलाराजे ट्रस्ट
18.	416	0.0310	कमलाराजे ट्रस्ट
19.	418	0.2820	कमलाराजे ट्रस्ट
20.	397	0.5850	सिंधिया कन्या विद्यालय
21.	417	0.0420	कमलाराजे ट्रस्ट
22.	411	0.1150	कमलाराजे ट्रस्ट
23.	412	0.1990	कमलाराजे ट्रस्ट
24.	413	0.0940	कमलाराजे ट्रस्ट
25.			

पिछली सरकार में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की सरपरस्ती में सिंधिया ने गलत तरीके से करोड़ों की सम्पत्ति अपने नाम कर ली या कब्जा कर लिया। करोड़ों के इस घोटले में अवैध तरीके से सम्पत्ति को हड़पा गया और यह सम्पत्ति सन 1948 की सूची में नहीं थी।

विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया तो अपने उन्हें 2-3 महीने के अंदर ही दबाव डालकर हटवा दिया और अपनी मर्जी के कलेक्टर और एस.डी.एम. को लाकर शासकीय एवं मंदिर औकाफ की भूमियों पर नामांतरण स्वयं के एवं अपने फर्जी ट्रस्टों के नाम कराया।

■ अधिकारियों पर दबाव डालकर 413 करोड़ रूपये की भूमि 146 एकड़ जो ग्वालियर फोर्ट (किला) पर है जिसे 99 वर्ष की अवधि के लिये सिंधिया एजुकेशन सोसायटी के नाम विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाये बिना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्तों के विरूद्ध जाकर दिनांक 18-2-2019 को सर्वे क्रमांक 9/2, 345, 346, 350, 777/1, 777/2 कुल किता 10 कुल रकबा 59.015 हेक्टेयर मात्र 100 रूपये वार्षिक भाटक पर लीज संपादित करा ली। जबकि सिंधिया स्कूल कमर्शियल संस्था है। जहाँ पढ़ने वाले बच्चों से लाखों रूपये प्रतिवर्ष फीस जमा कराई।

सिंधिया ने दबाव डालकर अपने पसंद का प्रशासनिक अमला तैनात कर कई शासकीय भूमियों का नामांतरण करवाया।

■ सिंधिया एजुकेशन सोसायटी ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से लीज लेने से पूर्व अपना नामांतरण तत्कालीन एस.डी.एम (वर्तमान में ए.डी.एम.) किशोर कन्याल से करा लिया था जिसके विरूद्ध भारतीय पुरातत्व विभाग ने तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर एम.गीता के समक्ष अवैध नामांतरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। जो

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

एक हजार करोड़ का गोरखी महल को भी नहीं छोड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने

गोरखी पैलेस का इतिहास ग्वालियर में काफी पुराना है। पानीपत की लड़ाई के दौरान जब सिंधिया घायल हो गये थे तो एक मुस्लिम भिष्टी ने उनकी मलम पट्टी कर उनको ठीक किया और मंसूर साहब नाम के एक फकीर से आशीर्वाद दिलवाया। गोरखी मंदिर में फकीर की पूजा-अर्चना आज भी सिंधिया परिवार करते हैं। गोरखी पैलेस

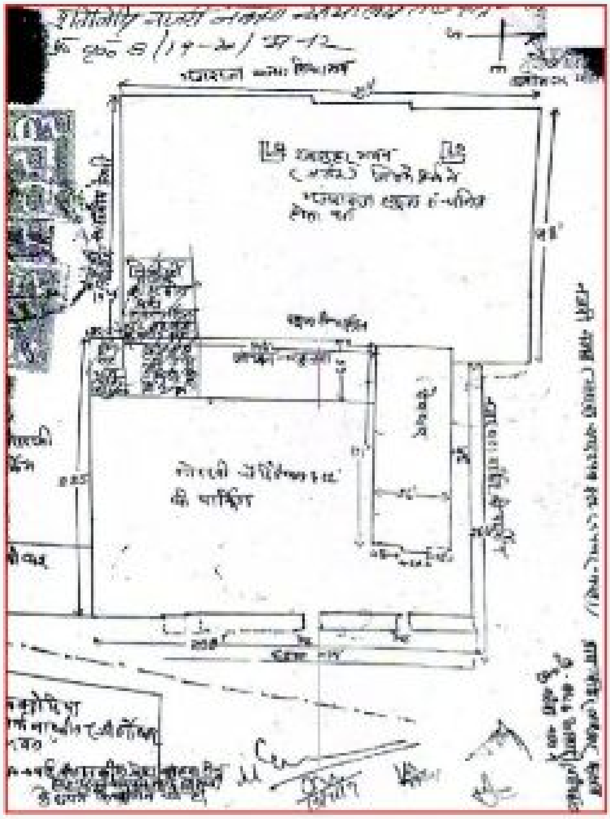

अवैध तरीके से सीमांकन कर जमीन का कब्जा और नामांतरण कर लिया गया और भविष्य में इसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यह सब पिछली सरकार में हुआ अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है एवं उनको जमीन में गाड़ने की भी बात कर चुके हैं। अवश्य ही प्रदेश के सबसे बड़े भू-माफिया के खिलाफ वह क्या कार्यवाहीं करेंगे।

स्वीकार की जाकर नामांतरण निरस्त करने का आदेश दिया। उक्त ओदश के विरूद्ध सिंधिया राजस्व मंडल तक अपील में गये। वहां भी अपील निरस्त कर दी गयी। नगर निगम ग्वालिर द्वारा उक्त अवैध निर्माण को हटाने का नोंटिस दिया गया जिसके विरूद्ध

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस पीर पैगम्बर जिसके आशीर्वाद से सिंधिया फूले फले ऐसे संत के नाम के मंदिर को भी नही छोड़ा। गोरखी महल और मंदिर की जमीनों में फर्जी गड़बड़झाला करके क्षेत्र बढ़ाकर उस पर कब्जा कर और सरकारी जमींन पर पार्किंग से रोजाना लगभग 50 हजार की कमाई कर रहें है।

सिंधिया परिवार के लोगों ने बनाया और उसमें शुरूआत में रहने लगे। इससे लगा हुआ ही गोरखी मंदिर है जिसकी जमीन काफी है। इनवेंटरी की लिस्ट क्रमांक-4 में गोरखी पैलेस का उल्लेख तो था पर गोरखी मंदिर और उसकी जमीन का कोई भी भाग इनवेंटरी में नही था। पूर्व की

सिंधिया ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पिटीशन प्रस्तुत की जो सुनवाई पश्चात निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध सिंधिया एजुकेशन सोसायटी ने डबल बेंच के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जिसका क्रमांक 958/2009 निर्णय दिनांक 10 जुलाई

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

गोरखी महल के सामने वाली सड़क पर कब्जा कर प्रतिदिन 50 हजार रूपये राशि कार पार्किंग में वसूली हो रही है।

कांग्रेस सरकार के दौरान ज्योतिरादित्य ने सीमांकन के लिये आवेदन दिया और सीमांकन में अतिरिक्त जमीन का हिस्सा जो कि गोरखी महल के अलावा भी था उसे करवा लिया। यह सीमांकन पूर्णतः गलत है। इस सीमांकन में पूर्व का कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय और सड़क को भी नपवा लिया। इस सीमांकन के बाद सड़क पर भी कार पार्किंग बनाकर रोज के लगभग 50 हजार कमा रहे हैं। पूरा का पूरा गलत सीमांकन वाली भूमि एवं निर्माण बाजार मूल्य हजार करोड़ रूपये का है। जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलत तरीके से हथिया लिया। गोरखी मंदिर और भाग मध्यप्रदेश सरकार का है। उसका गलत सीमांकन कर उस पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में कहा था कि 1949 की लिस्ट के बाहर कोई भी सीमांकन नही हो सकता या चुनौती नही दी जा सकती। गोरखी महल जियाजी चौक महाराज बाड़ा में स्थित है। इसी गोरखी महल में सिंधिया परिवार के गुरू का मंदिर है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरू के मंदिर की जगह और महल की बाकी पूरी जमीन का गलत तरीके से सीमांकन करा लिया है। साथ ही महल के सामने वाली सड़क का भी सीमांकन गोरखी चैरिटीबल ट्रस्ट के नाम करवा लिया है। गोरखी चैरिटीबल ट्रस्ट 2004-05 में बना है और इस ट्रस्ट के सभी मेंबर सिंधिया के वफादार लोग हैं।

2014 को निरस्त की गयी। जब माननीय न्यायालय द्वारा सिंधिया एजुकेशन सोसायटी के विरूद्ध प्रत्येक न्यायालय से आदेश पारित हो चुके थे उस स्थिति में सिंधिया को उक्त लीज़ दिया जाना पूर्णतः विधि विरूद्ध होकर विधि सम्मत नहीं था।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

■ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोरखी चेरिटेबल ट्रस्ट जो रियासत समाप्त होते समय अस्तित्व में नही था और कोवेनेंट (प्रसंविदा) पर हस्ताक्षर होते समय गोरखी पैलेस, जीवाजी चौक ग्वालियर उस प्रसंविदा के समय भारत सरकार को सौंपा गया था

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कुत्ते की समाधि की भूमि को सिंधिया परिवार ने बेच डाला

भारत के आजाद होने के बाद मध्य भारत गजट में दिनांक 30 अक्टूबर 1948 में सिंधिया परिवार ने संपत्तियों की जो लिस्ट सरकार को सौंपी थी, उस लिस्ट में वफादार कुत्ते की समाधि की भूमि का जिक्र नहीं था। बावजूद उसके सिंधिया परिवार पिछले कई दशक से यह समाधि की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। शासकीय तौर पर कई बार हार मानने के बाद बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे फिर अपने ट्रस्ट के नाम करवा लिया है।

जिस कुत्ते हुजु की बात हो रही है, वह माधराव सिंधिया प्रथम का सबसे वफादार कुत्ता था। हुजु का मालिक के प्रति लगाव ऐसा था कि जब माधराव सिंधिया प्रथम की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो हुजु ने खाना-पीना छोड़ दिया था। वहीं जब सिंधिया प्रथम का पेरिस में निधन हुआ तो यहां ग्वालियर में हुस्सू ने भी प्राण त्याग दिए। लिहाजा हुस्सू की वफादारी और प्रेम को देखते हुए सिंधिया प्रथम के बेटे जीवाजीराव सिंधिया ने हुस्सू की समाधि बनावा दी और उन्होंने आदेश दिया कि जिस जगह पर हुस्सू ने प्राण त्यागे हैं, वहां पर सिंधिया प्रथम के अस्थि कलश को स्थापित किया जाए। इस आदेश के बाद कुत्ते की समाधि बनाई गई। और वहीं पर माधवराव सिंधिया प्रथम की छतरी बनाई गई। दिवंगत महाराज की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को उनके वफादार कुत्ते के पास ले जाया जाए। लिहाजा फ्रांस से जब उनकी उनके अस्थि कलश ग्वालियर पहुंचे तो उन्हें कुछ देर के लिए हुस्सू की समाधि पर भी ले

यह समाधि महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम के प्रिय वफादार स्वान हस्सू डॉग की है, जिसने महाराजा के मृत्यु के बाद तुरंत प्राण त्याग दिये थे। इस समाधि स्थल से लगी जमीनों पर कब्जा कर सिंधिया और उनके ट्रस्टों नें अवैध तरीके से बेच दिया।

सिर्फ मंदिर जो नजरबाग मार्केट के समीप में है, मात्र सिंधिया के आधिपत्य में था। चेरिटेबल ट्रस्ट माधवराव सिंधिया ने बनाकर उसका रजिस्टर्ड पता 27, सफदरगंज शासकीय आवास नई दिल्ली लिखा है। निजी ट्रस्ट का रजिस्टर्ड पता शासकीय आवास में

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जाकर रखा गया। यहां इसका भी स्मारक बनाकर इसमें इस पूरे वृतांत का उल्लेख किया गया है। यह समाधि शहर की सिटी सेंटर इलाके में स्थित कॉलोनी शारदा विहार में है, इसमें सार्वजनिक पार्क है क्योंकि टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग और ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित नक्शे, में यह जमीन नजूल की बताई गई और इसे पार्क के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन कई सालों बाद अचानक पार्क पर कुछ लोग कब्जा करने पहुंचे तो लोगों को पता चला कि इस पार्क को सिंधिया परिवार ने बेच दिया। हालांकि तब सिंधिया कांग्रेस में थे और प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो उसके नेताओं ने मदद कर पार्क पर कब्जा होने से रोका और कॉलोनी वालों ने रजिस्ट्री रद्द करने की कार्यवाही की।

शिलालेख पर उल्लेख- इस समाधि पर एक शिलालेख लगा हुआ है। इस पर लिखा है कि ग्वालियर रियासत के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम जब यूरोप गए, तब अपनी महारानी को हुस्सू डॉगी दे गए थे। हुस्सू अपना ज्यादा समय अपने केयर टेकर मास्टर के साथ बिताता। महारानी चूंकि राजकाज के काम भी देखती। इसलिए दिनभर मास्टर के साथ ही हुस्सू रहता। धीरे-धीरे समय बीतता गया। बात 28 नवंबर 1930 की है, जब हुस्सू के मास्टर की अचानक मृत्यु हो गई। अपने मास्टर की मृत्यु का सदमा हुस्सू बर्दाश्त नहीं कर सका। वो दिनभर रोता रहा और शाम को उसने भी अपने प्राण त्याग दिए।

इन्वेंटरी है कुत्ते की समाधि- कुत्ते की समाधि इन्वेंटरी में दर्ज है। यह बेशकीमती जमीन है। जिसे सरकारी अफसरों की मदद से फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिंधिया ट्रस्ट ने बेच दिया है।

यह है राजस्व रिकॉर्ड- यह समाधि ग्राम महलगांव तहसील ग्वालियर के सर्वे. 916 रकबा 293 (1 बीघा 8 बिस्वा) सन् 1996 तक राजस्व अभिलेखों में राजस्व विभाग, कदीम, आबादी, पटोर नजूल के तौर पर दर्ज थी। सन् 1996 के पश्चात् कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अवैधानिक तरीकों से तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा बिना किसी वैधानिक आवेदन, बिना किसी प्रकरण दायर किये और शासन का पक्ष सुने स्व. माधवराव सिंधिया के नाम पर नामांतरित कर दी गई। इस अवैध कार्य में तत्कालीन तहसीलदार ने माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर की याचिका क्रमांक-61,62,63,64/1969 के आदेश दिनांक 08 सितम्बर 1981 के एक आदेश की भी अनुचित अवैधानिक व्याख्या का दुरूपयोग करते हुए इस काम को अंजाम दिया। क्योंकि तहसीलदार न्यायालय को यह अधिकार न होकर प्रकरण लैण्ड रेवेन्यू कोड की धारा- 57(2) के तहत यह अधिकार उपखंड अधिकारी एस.डी.ओ. को प्रदत्त है? इस नामांतरण के बाद माधवीराजे सिंधिया ने अपने पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया व पुत्री चित्रांगदा राजे की सहमति के साथ इस भूमि का विक्रय कर दिया।

महाराजा ग्वालियर की ओर से उक्त सर्वे नं. के संबंध में यह बताया गया है कि यह भूमि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। हकीकत यह है कि भारत सरकार से हुये समझौते के अनुसार महाराजा ग्वालियर की जो व्यक्तिगत पूर्ण स्वामित्व व उपयोग की जो संपत्ति थी, जिसकी चार सूचियां प्रकाशित हुई उसके अनुसार उस सूची 4 के अनुक्रम 28 पर इस भूमि का विवरण/ "Samadhi of the remain of H.L.H Madhavrao Maharaja and Hass dog in the garden of Sardar Patankar Sahab." के रूप में दर्ज और महलगांव के सर्वे. 916 में स्थित है। वर्ष 1992-93 में सर्वे.- 916 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है तथा खाता नं. 12 कैफियत में कुत्ता समाधि दर्ज है और इसका कब्जा पी.डब्ल्यू.डी. के अधीक्षण यंत्री के आदेश पर कार्यपालक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. ने ले लिया था।

माधवराव सिंधिया ने माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा पारित जिस उक्त प्रकरण क्रमांक का उल्लेख विक्रय पत्र में किया है जिसमें यह बताया गया है कि इसी आदेश के आधार पर सर्वे.क्रमांक- 916 पूर्णत: गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने प्रकरण में इस सर्वे नं. का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। यह एक गंभीर किस्म की धोखाधडी भी है, यही नहीं यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि माधवराव सिंधिया के स्वर्गवासी होने के पश्चात उनके वारिसान का नामांतरण भी वैधानिक रूप से नहीं किया गया है।

ग्राम महलगांव तहसील ग्वालियर सर्वे क्रमांक 916 (1 बीघा 8 बिस्वा) सन् 1996 तक राजस्व अभिलेखों में राजस्व विभाग, कदीम, आबादी, पटोर नजूल थी जो सन 1996 के पश्चात् अवैधानिक तरीके से तहसीलदार ग्वालियर द्वारा ग्वालियर के पूर्व महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम नामांतरित कर दी गई। बाद में महारानी (राजमाता) माधवीराजे सिंधिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा युवरानी चित्रांगधेराजे की सहमति के साथ विक्रय कर दी।

■ ग्राम महलगांव तहसील ग्वालियर की सर्वे क्रमांक 916 रकबा.293 है भूमि सिटी सेंटर क्षेत्र में स्थित होकर सन् 1996 तक राजस्व अभिलेखों में राजस्व विभाग, सड़क, कदीम, आबादी, नजूल दर्ज थी। यह माफी भूमि थी। सन् 1989 के पश्चात् इनके नाम दर्ज की है।

विधि अनुसार नहीं हो सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस शासन के दौरान जो फर्जी काम किये सचिव गोरखी चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक आवेदन तहसीलदार ग्वालियर को प्रस्तुत किया। राजस्व अभिलेख में नामांतरण बावत भूमि सर्वे क्रमांक 846

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

■ उक्त भूमि को तहसीलदार ग्वालियर ने स्व. महाराजा माधवराज सिंधिया के द्वारा किसी वैधानिक आवेदन प्रस्तुत किए बिना ही प्रकरण दायर कर उनके नाम नामांतरित कर दी।

■ तहसीलदार ने शासकीय भूमि को शासन का पक्ष सुने बिना माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर के रिट पिटीशन 61,62,63,64/1979 के आदेश दिनांक 8.9.1981 का उल्लेख हुए महाराजा के नाम नामान्तरित कर दिया।

■ तहसीलदार को शासकीय भूमि पर नामांतरण करने का अधिकार ही नही था। प्रकरण लेण्ड रेवेन्यु कोड की धारा 57 (2) के तहत अधिकार उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) को ही दिया गया। तहसीलदार द्वारा दिया गया आदेश विधि विरूद्ध है।

■ जहां तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8.12.81 के तहत नामांतरण किए जो का प्रश्न है उक्त निर्णय में जिन सर्वे नम्बरों का विवरण दिया है उनमें सर्वे क्रमंक 916 का कोई उल्लेख नही होकर कोई निर्णय नही है। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ग्वालियर का निर्णय दिनांक 8.12.81 संलग्न है। उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के निर्णयों का पालन ही तहसीलदार ने नही किया।

■ न्यायालय तहसीलदार ग्वालियर के यहां दायर नामांतरण प्रकरण में स्व. महाराजा माधवराज का कोई प्रार्थना पत्र प्रकरण में नही है। किसी अनाधिकृत व्यक्ति महेन्द्र प्रताप सिंह के एक साधारण पत्र पर संपूर्ण कार्यवाही का नामांतरण कर दिया गया। जो पूर्णतः अवैधानिक है।

■ महाराजा ग्वालियर की ओर से उक्त सर्वे नम्बर के संबंध में बताया गया है कि यह महाराजा ग्वालियर को उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति की सूची में दर्शाया गया है। उस कारण महाराज की व्यक्तिगत सम्पत्ति है वास्तविक यह है कि भारत सरकार से हुए समझौते के अनुसार महाराजा ग्वालियर की जो व्यक्तिगत पूर्ण स्वामित्व व उपयोग की सम्पत्ति थी जो 4 लिस्टे प्रकाशित हुई उनमें लिस्ट क्रमांक 4 के अनुसार जो सम्पत्ति सिंधिया द्वारा यूनियन गवर्मेंट (भारत सरकार) को समर्पित की थी उस लिस्ट क्रमांक 4 के अनुक्रम 28 पर इसका विवरण है। "Samadhi of the remain of H.L.H Madhavrao Maharaja and Hass dog in the garden of Sardar Patankar Sahab." वह महलगांव के सर्वे क्रमांक 916 में है।

■ खसरे में सन् 1992-93 में सर्वे क्रमांक 916 शासकीय है तथा खाता नम्बर 12 केफियत में कुत्ता समाधि दर्ज है जबकि यह कुत्ता समाधि लिस्ट में वर्णित इसका कब्जा सुपरिन्टेण्डेंट इंजीनियर के आदेश पर EE PWD ने प्राप्त किया था।

■ माधवीराजे सिंधिया ने माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा पारित प्रकरण क्रमांक 61,62,63,64, एवं 64/1979 में पारित आदेश दिनांक 8.12.81 का उल्लेख विक्रय पत्र में कर कहा है कि इसी आदेश के आधार पर यह सर्वे क्रमांक 916 में हम प्राप्त हुआ है जो पूर्णतः गलत है उक्त न्यायालय प्रकरण में इस सर्वे नम्बर का कोई उल्लेख नही।

■ महाराजा माधवराव सिंधिया के स्वर्गवासी होने के पश्चात् उनके वारिसान का नामांतरण भी वैधानिक रूप से नही हुआ है।

■ तहसीलदार ग्वालियर ने भी सीमांकन प्रार्थना पत्र के समय पूर्ण जानकारी उक्त सर्वे नम्बर के संबंध में लेना उचित नही समझा।

■ गलत तथ्य समाचार पत्रों में दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर बैंच ने रिव्यु पिटीशन क्रमांक 313/2009 में पारित आदेश दिनांक 17.2.2009 द्वारा भी देवस्थान, कमलाराजे, गोरखी ट्रस्ट भी सिंधिया परिवार का होना पाया गया है। उक्त निर्णय में ऐसा कुछ नही है तथा टाईटल के संबंध में कोई निर्देश व आदेश नही है।

■ वास्तविकता यह है कि सर्वे नं पूर्णतः शासकीय होकर आज भी शासन की संपत्ति है इस प्रकरण में तहसीलदार ग्वालियर ने भ्रष्टाचार के आधार पर क्रेताओं का नामांतरण भी बिना संपूर्ण राजस्व अभिलेखों की जानकारी लिए बिना तथ्यों को छुपाकर किया हैं।

■ डॉ. संजय गोयल कलेक्टर ग्वालियर ने अपने प्रकरण क्रमांक 07/13-14 स्वमेव निगरानी में लेकर ओदश दिनांक 20.6.2017 को शासकीय अभिलेखों में पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश भी दिया है।

■ सुपरिन्टेडेट इंजीनियर PWD B&R नोर्दन सर्किल ग्वालियर ने महाराजा की प्रायवेट प्रापर्टी का चार्ज लिस्ट के अनुसार लेने हेतु पत्र क्रमांक 2307 दिनांक 30.03.50 के पालन में कार्यपालन यंत्री PWD गिर्द डिवीजन ने लिस्ट के अनुसार चार्ज लेकर अपने पत्र क्रमांक 2624/15.04.50 द्वारा अरावश अधिकारी लश्कर को सूचित कर दिया था। भूमि पूर्ण रूप से शासकीय है।

शासकीय भूमि का षडयंत्रपूर्वक अवैधानिक नामांतरण करके विक्रय किया जाकर करोड़ों रूपये की शासन को हानि पहुंचाई है।

(रकबा 39.060 हैक्टेयर) पर नामांतरण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था। जो प्रकरण क्रमांक 1714/बी-121/2019-20 पर दर्ज हुआ जिसमें मंदिर के साथ गोरखी कम्पाउण्डर में तहसील कार्यालय सहित 1,18,00 वर्ग फुट एरिया अपने आधिपत्य

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

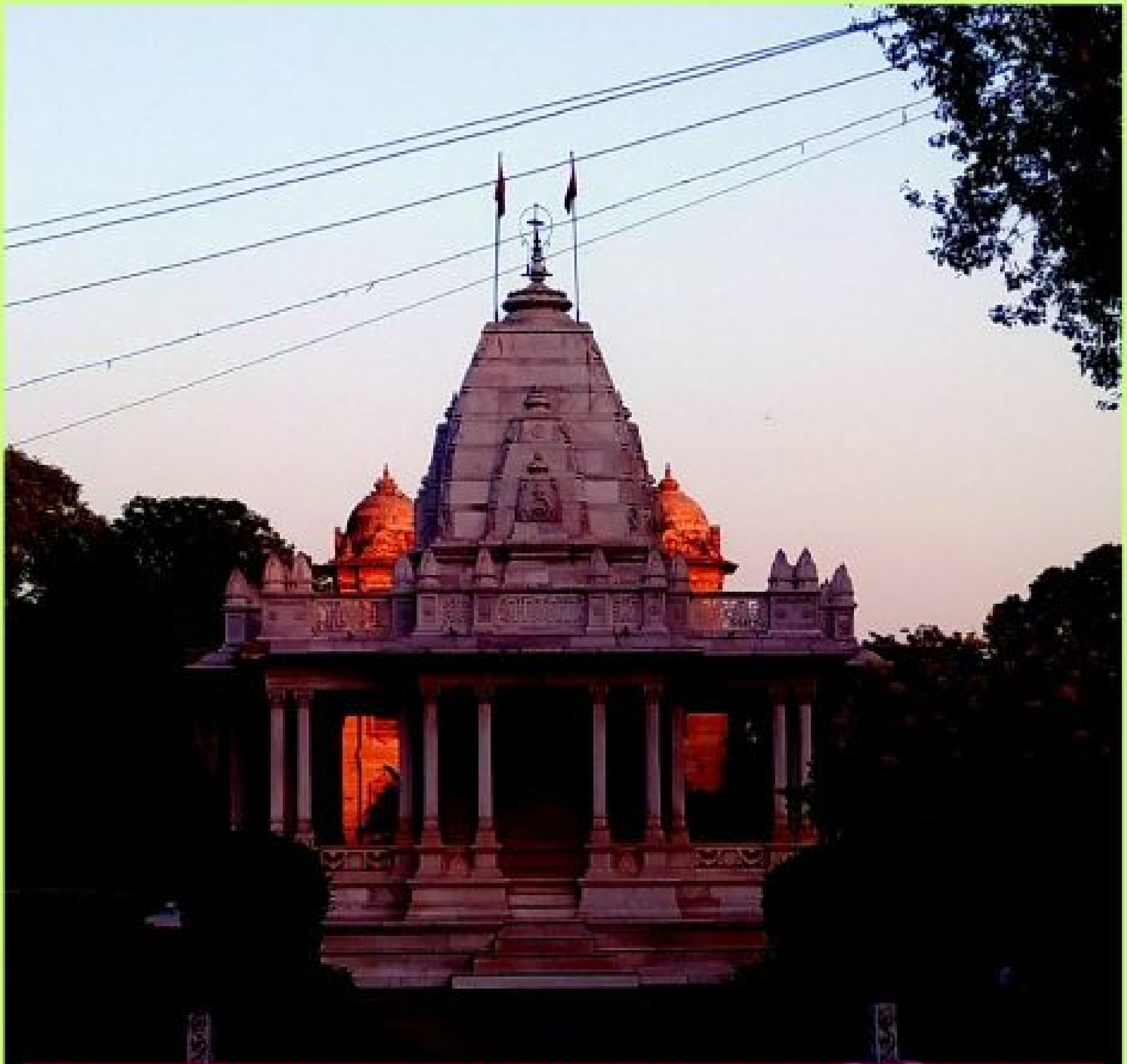

ग्वालियर में सिंधिया परिवार के सभी महाराजाओं की समाधि एक ही जगह स्थित है, इस जगह को छतरी कहा जाता है। इस जगह को कई लोग देखने आते हैं। लेकिन यहां भी 30 रूपये का टिकिट लगता है। मतलब साफ है कि सिंधिया पैसे की लूट हर जगह मचाए हुए हैं। लोग सिंधिया परिवार के प्रति आस्था रखते हैं। क्या इस तरह की टिकिट लगाकर पैसा वसूलना उचित है?

का बताकर उस पर नामांतरण तहसीलदार आदेश दिनांक 11-11-2019 को अवैध रूप से करा लिया। वर्तमान में यहां कार पार्किंग होकर प्रतिदिन 10-15- हजार रूपये ट्रस्ट अवैध रूप से आय अर्जित कर रहा है और नजरबाग मार्केट के समीप गोरखी गेट

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ग्वालियर के एजी ऑफिस पुल की जमीन पर 23 साल बाद सिंधिया का दावा, 7 करोड़ मुआवजा मांगा

ग्वालियर शहर के एजी ऑफिस पुल की जमीन पर 23 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना दावा पेश किया है। सरकार से मुआवजे के 7 करोड़ 55 हजार रुपए की मांग की है। यह दावा अपर सत्र न्यायालय में लंबित है।

यह एजी आफिस ब्रिज है, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने सौगात के रूप मे ग्वालियर शहर को दिया था। उनके पुत्र ज्योतिरादित्य ने उनके पिता द्वारा उद्घाटन किये हुये ब्रिज के नीचे की जमींन पर अपना कब्जा बताया और 7 करोड़ का दावा ठोक दिया।

के बाहर भी स्कूटर स्टेण्ड बनाकर पृथक से लगभग 20 हजार रूपये रोज ट्रस्ट अवैध रूप से आय अर्जित कर रहा है।

■ सिंधिया ने अवैध रूप से अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर महलगांव की अनेकों भूमियाँ अपने फर्जी ट्रस्टों क नाम नामांतरण कराई जिनके सर्वे नम्बर 398, 419, 420, 421, 1235, 1201, 1236, 1242, 401, 1243, 402, 403, 406, 415, 416, 418, 397, 417, 411, 412, 413 करा ली हैं।

■ सिंधिया ने ग्वालियर के मंदिर एवं धार्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ा जिसमें रामजानकी मंदिर की शासकीय भूमि एवं कोटेश्वर मंदिर के सामने स्थित शासकीय भूमि जिस पर गरीब लोग फूल माला एवं प्रसाद विक्रय कर जीवन यापन करते थे उन सभी गरीबों को विधायक एवं पुलिस बल के सहयोग से बेदखल कर विधायक निधि से बाउण्ड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया।

■ ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एम.एल.बी.कॉलेज के सामने स्थित छत्री जो सिंधिया परिवार का शमशान स्थल है उस पर सिंधिया प्रतिदिन सुबह-सायं घूमने वाले व्यक्तियों पर टैक्स लगाकर अवैध आय अर्जित कर रहे हैं जबकि उक्त परिक्षेत्र में ठेके पर भूमि देकर सब्जियां भी उगाई जाती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महलगांव हलका सर्वे क्रमांक 1071, 1072, 1073 जमीन पर दावा करने के लिए सिंधिया ने कमलाराजे चेरिटेबल ट्रस्ट के विजय सिंह फालके को अधिकृत किया है। (विजय सिंह फालके को 4 अप्रैल 2011 को ट्रस्ट के सचिव पद पर नियुक्त किया गया था। 22 अप्रैल 2018 को ट्रस्ट बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि विजय सिंह फालके दावा पेश करने के लिए अधिकृत हैं।) उनकी ओर से ही दावा पेश किया गया है। हमने मिसिल बंदोबस्त संवत 1997 में तीनों सर्वे नंबर की पड़ताल की तो यह शासकीय संपत्ति में दर्ज हैं। भूमि का प्रकार बंजर, आम रास्ता व रेल की पटरी दर्ज है। दावे में तर्क दिया है कि वादी की भूमि पर शासन ने रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है। शासन ने वादी की भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर वादी ने आपत्ति की थी। इसके जवाब में अनुविभागीय अधिकारी ने 16 सितंबर 1995 को आपत्ति का जवाब देते हुए कहा कि ट्रस्ट की भूमि पर न तो कोई कब्जा है और न अतिक्रमण किया गया। दावे में तर्क दिया है कि लोक निर्माण विभाग ने जो सड़क का निर्माण किया है, उसमें निजी भूमि भी चली गई है। इसलिए इस जमीन का अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार किया जाए, ताकि जमीन का मुआवजा मिल सके। वादग्रस्त भूमि का 7 करोड़ 55 हजार रुपए 12 प्रतिशत ब्याज के साथ दिलाए जाएं। ट्रस्ट की ओर से दावा 4 जून 2018 में पेश किया गया है। फिलहाल यह दावा जिला न्यायालय में लंबित है। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग, कलेक्टर, तहसीलदार को दावे में प्रतिवादी बनाया है।

1971 में हुआ था ट्रस्ट का गठन, माधवीराजे हैं चेयरमैन- 31 दिसंबर 1971 को विजयराजे सिंधिया ने कमलराजे चेरिटीबल ट्रस्ट का गठन किया था। उन्होंने वादग्रस्त भूमि ट्रस्ट को दी थी। वर्तमान में इस ट्रस्ट की चेयरमैन माधवीराजे सिंधिया हैं। ट्रस्टी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियदर्शनी राजे सिंधिया हैं।

तीनों सर्वे नंबर से निकली है सड़क- महलगांव के सर्वे क्रमांक 1071, 1072, 1073 खसरों में शासकीय दर्ज है। लैंड रिकॉर्ड की साइट पर तीनों सर्वे क्रमांक का स्टेट्स शासकीय दर्ज है। खसरे में पीडब्ल्यूडी का आम रास्ता लिखा हुआ है। मिसिल बंदोबस्त में दर्ज स्थिति से ही जमीन का मालिकाना हक तय होता है। मिसिल बंदोबस्त संवत 1997 सर्वे क्रमांक 1071 में 10 बिस्वा जमीन, 1072 में 1 बीघा 4 बिस्वा जमीन, 1073 में 4 बिस्वा जमीन रेल की पटरी, सड़क, बंजर के नाम से दर्ज है।

माधवराव सिंधिया ने किया था पुल का उद्घाटन- पुल की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद 1987 में निर्माण शुरू किया गया था। पुल के निर्माण के पूर्ण होने की वर्ष 1991 निर्धारित किया गया था। स्व. माधवराव सिंधिया ने इस पुल का शुभारंभ किया था।

उसी में सिंधिया को लाखों की आय होती है। सिंधिया को मंदिर एवं शमशान स्थल तक से आय अर्जित हो रही है साथ ही विवाह मंडप उत्सव वाटिका, परिणय वाटिका, रंग महल, बंधन वाटिका, चेतकपुरी तिराहे सेलेकर सखिया विलास तक शासकीय हरिदर्शन स्कूल के खेल मैदान की भूमि हड़पकर उस पर विभिन्न वैवाहिक मंडपों का अवैध निर्माण संरक्षण में किया जा रहा है।

भगवाधारी सिंधिया ने ग्वालियर में मचा दी है शासकीय जमीनों की लूट

■ सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के आते ही विभिन्न प्रकार से उपकृत किया जैसे सिंध एवं चम्बल नदी से अवैध रेत खनन, क्रेशर माईनिंग लीज एवं दबाव देकर उत्खनन की लीज दिलाई। उदाहरण के तौर पर बिलौआ स्थित क्रेशर के बिल में 52 लाख रूपये की राहत दिलाई। सिंधिया ने अपराधियों को संरक्षण दिया, जो आज भी उन्हीं के साथ ही सार्वजनिक रूप से स्टेज पर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उषा राजे होल्कर का 1000 एकड़ भूमि का दावा सुप्रीम कोर्ट से खारिज

30 अक्टूबर 1948 के सरकारों और राजाओं के बीच हुए समझौते के बाद जो संपत्ति सरकार के अधीन आ गई थी, उसका मालिकाना हक सरकार का ही रहेगा। इसी परिपेक्ष्य में एक आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। दरअसल उषाराजे होलकर से पिछले 51 वर्षों से चल रहे एक हजार एकड़ भूमि विवाद में आखिर शासन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमीन पर शासन का मालिकाना हक होने का फैसला सुनाया। करोड़ों रूपए मूल्यों की जमीन के मामले में हाईकोर्ट में लगातार दूसरी बार हारने के बाद शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। होलकर राजवंश की पूर्व महारानी उषाराजे भूमि पर अपने दावे के सबूत पेश नहीं कर पाई। इंदौर एयरपोर्ट,

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्रमांक 2015 आर.एन. 461 जिसमें ऊषाराजे होल्कर के हाथ से 1000 एकड़ भूमि जोकि उनकी निजी सम्पत्ति की सूची में नहीं थी। उसका दावा सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि सिंधिया और उनकी ट्रस्ट के पास आज दिनांक में ग्वालियर में केवल 28 निजी सम्पत्तियां होनी चाहिए बाकी सब अवैध कब्जा, अवैध नामांतरण और अवैध रजिस्ट्री से हासिल हुई है।

राजस्व निर्णय] म.प्र. राज्य वि. महारानी उषादेवी 461

delay the proceedings. Undoubtedly the plaintiff being *dominus litus* has a right to prosecute his suit in manner best suited to his requirement but at the same time should not adopt dilatory tactics to cause unnecessary prolongation of litigation.

9. The trial Court is advised to be as stringent as possible under the law while considering the prayer for adjournment by the rival parties and resort to the remedy of imposing cost on the defaulting party as and where necessary.

10. With the above said observation, no case for interference is made out in the limited supervisory jurisdiction of this Court under Article 227 Constitution of India.

11. Consequently, this petition deserves to be and is therefore rejected.

RDS

2015 रा नि 461 ❑ 2015 RN 461

(उच्चतम न्यायालय) ❑ (SUPREME COURT)

न्या. रंजन गोगइ तथा न्या. एन. वी. रमना

Ranjan Gogoi and N. V. Ramana, JJ.

म.प्र. राज्य वि. महारानी उषादेवी

State of M.P. v. Maharani Ushadevi

सिविल अपील क्रमांक 557-558 सन् 2012, उच्च न्यायालय म.प्र. न्याय पीठ इंदौर द्वारा प्रथम अपील क्रमांक 421/2001 एवं पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 396/2010 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.8.2010 तथा 11.2.2011 के विरुद्ध; निर्णीत दिनांक 15.7.2015.

Civil Appeals No.557-558 of 2012; against judgment and decree dated 13.8.2010 and 11.2.2011 passed by High Court of M.P., Bench at Indore in First Appeal No.421 of 2001 and in Review Petition No.396 of 2010; Decided on 15.7.2015.

(1) भारत का संविधान – अनु.363 – उपबंधों का लागू होना – होल्कर राज्य के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी द्वारा हक घोषणा के लिए वाद – सम्पत्तियाँ भूतपूर्व शासक की व्यक्तिगत सम्पत्तियाँ होने पर आधारित – ऐसी सम्पत्तियाँ व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में [illegible] की सूची में प्रदर्शित नहीं की गई – वादी के हक का स्त्रोत – [illegible] प्रसंविदा है – प्रसंविदा के निबंधनों से उत्पन्न कोई विवाद – अनुच्छेद 363 के उपबंध आकर्षित होंगे – वाद चलाने योग्य नहीं – न्यायालय को ऐसा विवाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है।

अभिनिर्धारित : निर्विवाद रूप से संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए हमको प्रसंविदा को देखना होगा क्योंकि वादी के हक [illegible] प्रसंविदा है। किसी कल्पना के आयाम पर, हम अपील न्यायालय के [illegible] नहीं हो [illegible] कि वादी का अधिकार पूर्व से विद्यमान अधिकार [illegible]

दिखते हैं।

ज्योतिरादित्य की दादी ने कांग्रेस से की थी दल बदलने की शुरुआत

कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के पाले में जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने राजवंश के सदस्य नहीं हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का दल ज्वॉइन किया है। इससे पहले भी सिंधिया परिवार के लोग सत्ता की लालच में दल बदलने जैसा काम कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी चाहती थीं कि उनका पूरा परिवार भाजपा में रहे। जीवाजी राव सिंधिया और विजयाराजे

सिंधिया ने भी राजनीतिक दल बदलने की पारिवारिक परंपरा को बरकरार रखा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

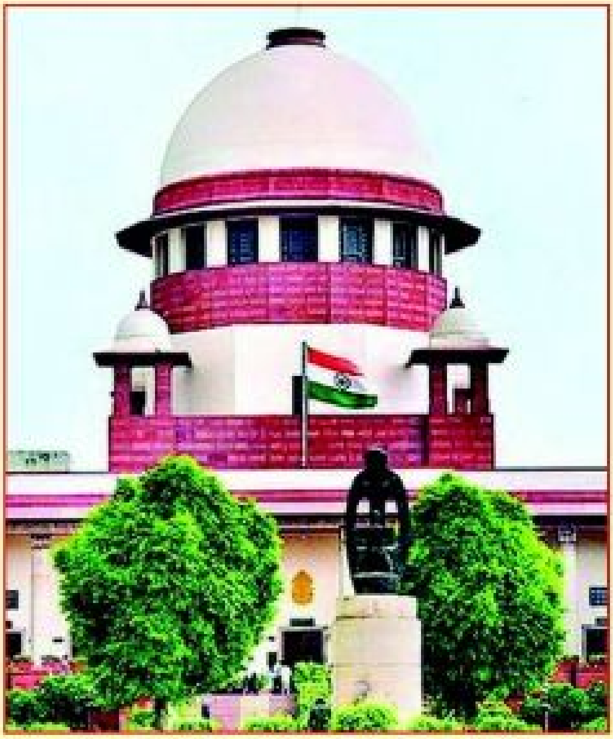

51 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट में जीता [illegible]

उषाराजे होलकर के हाथ से फिसली 1000 एकड़ भूमि

इंदौर/नई दिल्ली (ब्यूरो)। उषाराजे होलकर से पिछले 51 वर्षों से चल रहे एक हजार एकड़ भूमि विवाद में आखिर शासन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमीन पर शासन का मालिकाना हक होने का फैसला सुनाया। करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन के मामले में हाई कोर्ट में लगातार दूसरी बार हारने के बाद शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। होलकर राजवंश की [illegible] उषाराजे भूमि पर अपने [illegible] नहीं कर पाईं। इंदौर [illegible] कलेक्टोरेट, पुलिस लाइन सहित बेशकीमती जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार का हक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति एनवी रमना की पीठ ने हाई कोर्ट का वह आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें इंदौर की महारानी उषाराजे को भूमि का मालिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट मप्र सरकार के अधिवक्ता टीआर [illegible] व [illegible] सिंह की दलीलें स्वीकार करते हुए कहा कि रजवाड़ों के भारत में विलय की संधि के बाद उस स्टेट की सारी संपत्ति भारत सरकार की हो गई, सिवाय उसके जिसे भारत सरकार ने राजघराने की निजी संपत्ति माना हो।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश जोकि उस समय प्रमुख अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुआ था।

कलेक्टोरेट, पुलिस लाईन सहित बेशकीमती जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार का हक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति रंजन गोगांई व न्यायमूर्ति एनवी रमना की पीठ ने हाईकोर्ट का वह आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें इंदौर की महारानी उषाराजे को भूमि का मालिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की दलीले स्वीकार करते हुए कहा कि रजवाड़ों के भारत में विलय की संधि के बाद उस स्टेट की सारी संपत्ति भारत सरकार की हो गई, सिवाय उसके जिसे भारत सरकार ने राजघराने की निजी संपत्ति माना हो।

जमीनों की बंदरबांट करने से धूमिल हुई सिंधिया की छवि

सिंधिया की पांच संतानों में से माधवराव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य के सिवाय सभी भाजपा में ही रहे। ज्योतिरादित्य की दादी और ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। 1957 में वो गुना से लोकसभा सीट जीतकर संसद पहुंची थीं। दस साल कांग्रेस में रहने के बाद 1967 में वो जनसंघ में चली गईं। विजयाराजे की वजह से ही उनके क्षेत्र में जनसंघ मजबूत हुआ। 1971 में जब इंदिरा गांधी की पूरे देश में लहर थी तब भी जनसंघ यहां से तीन सीट

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

माधवराव सिंधिया प्रथम थे आधुनिक ग्वालियर के निर्माता

महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम ने ग्वालियर में बहुत कुछ किया है। वर्तमान में ग्वालियर को जो स्वरूप दिख रहा है उसमें सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान है। ग्वालियर में आज भी उनके द्वारा बनाए गए बांध से ग्वालियरवासियों की प्यास बुझ रही है। साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम ने ग्वालियर को पारिवारिक राजशाही से एक आधुनिक राज्य में बदल दिया। 1776 में जन्मे महाराजा माधवराव ने नौ वर्ष की अल्प आयु में ही राजगद्दी को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया। आरंभिक जीवन से ही राज्य में अंग्रेजों की उपस्थिति तथा राज्य पर उनके प्रभाव के साथ उन्होंने सामंजस्य बिठाना सीखना था। उन्हें इस बात को सिद्ध करना था कि वो एक संतुलित व्यवहार के द्वारा राज्य की गतिविधियों को शांतिपूर्वक संचालित कर सकते हैं। साथ ही साथ वो इतने स्वतंत्र हो कि वो अपनी जनता की हित के लिए अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव कर सकें तथा निर्णय ले सकें।

अपने राज्याभिषेक के साथ ही महाराजा माधवराव ने अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया था कि जल्दी ही ये पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे तथा जनता से मिलकर उनकी आवश्यकताओं का पता लगाएंगे। अपने विलक्षण अभियान के परिणामस्वरूप उन्होंने अपने राज्य को अधिक लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों को विकेन्द्रित किया तथा प्रतिनिधि मंडलों का गठन भी किया। सभी धर्मो को बिना भेदभाव के एक साथ बढ़ावा दिया। यहां तक कि इस आधुनिक तथा लोकतांत्रिक सोच को उनके निजी जीवन में भी देखा जा सकता है। उनकी विरासत को आज भी पूरे राज्य की सभी चीजों में प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर रेल्वे तक में पाया जा सकता है।

जीतने में कामयाब हो गया। विजयाराजे सिंधिया भिंड से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया गुना से सांसद बने।

पिता ने भी बदल दिया था दल

ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया सिर्फ 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए थे। वो भी जनसंघ में ही थे लेकिन 1977 में आपातकाल के बाद उनके रास्ते जनसंघ और अपनी मां विजयाराजे सिंधिया से अलग हो गए। 1980 में ज्योतिरादित्य के पिता ने कांग्रेस के टिकट पर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

यह ग्वालियर का 1000 बेड का वह अस्पताल है, जिसका शिलान्यास सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आयी तो इसका उद्घाटन करने ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झण्डे दिखाए थे।

चुनाव लड़ा और वो केंद्रीय मंत्री भी बने। 2001 में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी।

2002 में पहली बार बने सांसद

2001 में पिता की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में पिता की जगह ली। 2002 में जब गुना सीट पर उपचुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुने गए। पहली जीत के बाद से 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कभी उनके ही सहयोगी रहे कृष्ण पाल सिंह यादव ने उन्हें हरा दिया।

मुख्यमंत्री बनना चाहते थे सिंधिया

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश में

ग्वालियर की सरकारी जमीनों की जांच कमेटी के बिंदुओं पर आज तक कार्रवाई नहीं

ग्वालियर में जमीनों की भारी हेराफेरी की भनक उस समय के ग्वालियर के कमिश्नर रहे मनोज श्रीवास्तव को लगी थी। श्रीवास्तव ने इसकी सच्चाई जानने के लिए एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमेन मनोज श्रीवास्तव ही थे। उन्होंने पूरे ग्वालियर की सरकारी जमीनों के खसरा, खतौनी की जांच की और उनको यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि इन जमीनों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। मनोज श्रीवास्तव ने इसकी फाइल भोपाल भेजी थी। वह फाइल आज भी वल्लभ भवन में पड़ी है। उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

झांसी की रानी 1857 का सच

रानी बढ़ी कालपी आई, कर सौ मील निरंतर पार,
घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार,
यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार,
विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार।
अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

महारानी 1857 में ग्वालियर आई थी, जब जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर के राजा थे। जब झांसी की रानी ग्वालियर की ओर आई थी तब उन्होंने सोचा था कि ग्वालियर बड़ा राज्य है। उनके पास बहुत सेना है। जिसको जीता नही जा सकता। ग्वालियर का किला ऐसा किला है जिसे भेदा नहीं जा सकता है। जब महारानी लक्ष्मी बाई ग्वालियरपहुंची उने पहुचते ही जयाजीराव ग्वालियर छोड़ आगरा चले गये। जबकि होना यह था कि उनको झांसी की रानी के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। सिंधिया अंग्रेजो के मित्र थे। उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। सिंधिया दोनों घोड़ों पर सवारी करना चाहते थे। कहीं-कहीं यह भी कहा गया है कि सिंधिया ने झांसी की रानी के लिये खजाना और सेना छोड़ रखी थी। मगर बिना राजा के सेना कैसे लड़ाई करती। अगर सिंधिया की सेना ने झांसी की रानी का साथ दिया होता तो हम उसी समय 1857 का संग्राम जीत गये होते। और उसी समय हमें आजादी मिल जाती। झांसी की रानी के साथ घटे एक वाकया का भी जिक्र मिलता है। जब रानी का घोड़ा घायल हो गया था, तब रानी के ग्वालियर रियासत के एक घोड़ा मांगा था। बताया जाता है कि ग्वालियर से किसी ने रानी को पागल घोड़ा भेज दिया था। जब युद्ध हुआ तो रानी का घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ा। दूसरे भी वाकये हैं। सिंधिया के खजांची थे अमरचंद वाठिया, जो जैन थे। सिंधिया का कहना था कि हमारे खजांची ने खजाने का पता बताकर झांसी की रानी की मदद की थी। कहते यह भी हैं कि झांसी की रानी ने खजाना लूटा था, परंतु इस बात का इतिहास में कही भी जिक्र नही है। जब झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई तब जयाजीराव आगरा से ग्वालियर लौट आये। अगर सिंधिया की सेना लड़ी होती तो खजांची वाठिया की जगह जयाजीराव सिंधिया को फांसी होती। वाठिया ने अंग्रेजो को भी खजाने का पता नही बताया था और न झांसी की रानी को पता बताया था। राजमाता की किताब मे यह जिक्र है कि राजा को भी आंखो पर पट्टी बांधकर खजाना दिखाया जाता है। जयाजीराव सिंधिया का आगरा चले जाना अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजो की मदद करना था। झांसी एक छोटा राज्य था और लड़ने वाली महिला थी। झांसी की रानी को यह उम्मीद थी कि सिंधिया और उसकी सेना मदद करेगी। इसलिये वो ग्वालियर आई। सिंधिया की सेना बहुत बड़ी थी। अगर उन्होंने झांसी की रानी का साथ दिया होता तो 1857 में हमें आजादी मिल जाती। कहीं न कहीं जयाजीराव अंग्रेजो की ओर थे। खजांची को फांसी दे दी गई और मालिक सुरक्षित रह गये। उस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अनेकों राजा लड़ रहे थे।

सरकार तो बना ली लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम नहीं बन सके। पार्टी ने कमलनाथ को प्रदेश की कमान सौंप दी। यहीं से दोनों नेताओं के बीच तकरार शुरू हो गई। विधानसभा के छह महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में मिली हार

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

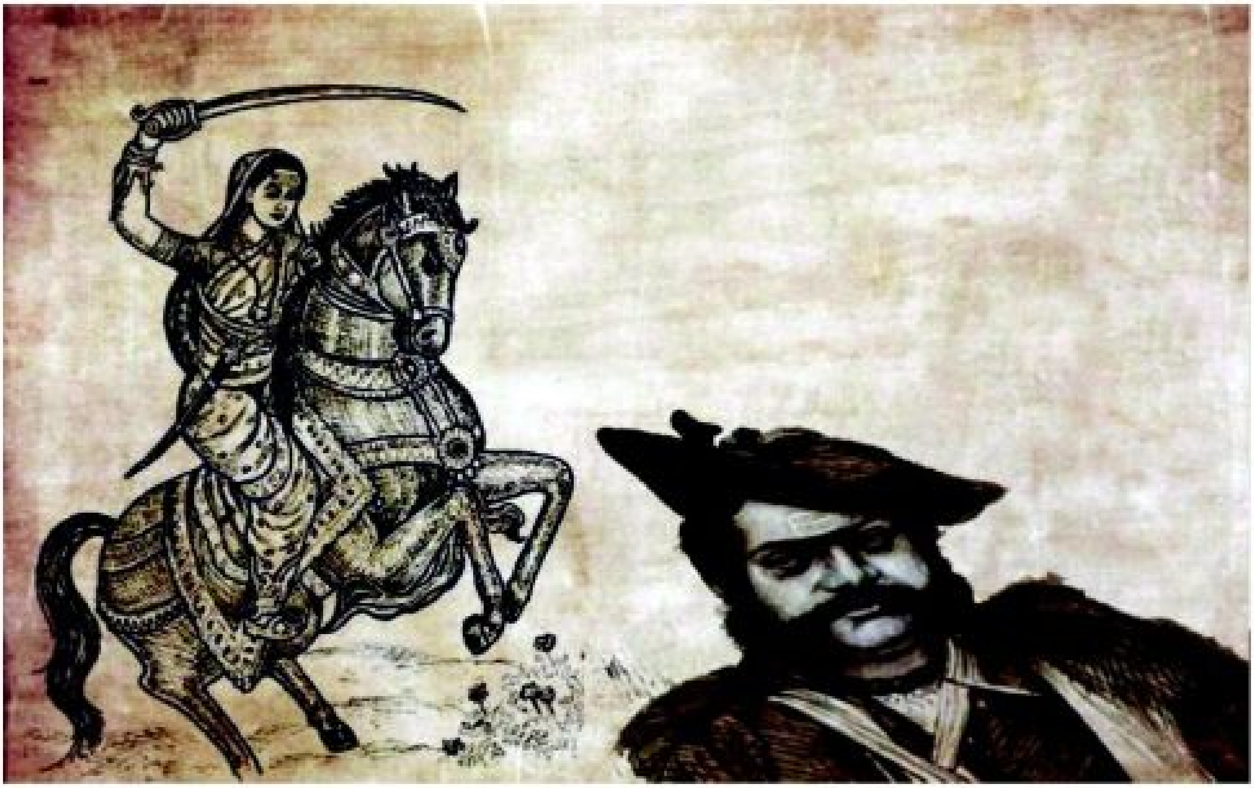

यह है जयाजीराव सिंधिया, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर आगमन के समय आगरा चले गए थे। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्याटोपे के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद पहुंचाई।

सिंधिया के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हुई। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही बार-बार मांग करने के बावजूद सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद नही मिला। उसके बाद राज्यसभा भेजे जाने को लेकर कमलनाथ और सिंधिया के बीच तकरार सामने आई।

सिंधिया परिवार का परिचय

सिंधिया के पूर्वज महाराष्ट्र के सातारा जिले में कान्हेरखेड गांव के हैं। उनके पूर्वज सतारा जिले के पेशवा के सैनिक थे और पेशवा महाराज शिवाजी के महामंत्री थे। पेशवा की सेना में सिंधिया (शिंदे) और होल्कर दोनों सूबेदार थे। पेशवा की सेना में सिंधिया के चार भाई थे। पानीपत का पहला युद्ध अब्दुल शाह अफगानी और दिल्ली के बादशाह शाह आलम के बीच में हुआ था

सिंधिया के महल जयविलास का कोई खसरा खतौनी और वटांकन नही है। उन्होंने जयाजीराव गृह निर्माण सोसायटी बनाई समझ में नही आता कि खसरा खतौनी नही होने पर कैसे रजिस्ट्रियां हुई। इन्होंने जय विलास पैलेस को ट्रस्ट बनाया है जिसमें पानी, बिजली का खर्च नही लगता।

उसने पेशवा से मदद मांगी थी। उसमें पेशवा ने जो पानीपत की लड़ाई के लिए सेना भेजी थी। जिसमें महादजी सिंधिया (सिंदे) और होल्कर लड़ने गए थे। पेशवा की तरफ से अब्दुल शाह अफगानी के खिलाफ जिसमें पेशवा हार गये। महादजी के भाई दत्तराज दत्ता जी, राणो जी, जयाजी मारे गये। इस युद्ध में महादजी बहुत ज्यादा घायल हुए। जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ उसमें पेशवा ने फिर सूबेदारों (महादजी और होल्कर) को भेजा। यह लड़ाई अब्दुल शाह अफगानी के साथ हुई। इसमें मराठी जीत गये। इसमें खुश होकर पेशवा ने होल्कर को इंदौर और शिन्दे को उज्जैन की जागीरदारी सौंप दी। महादजी शिन्दे उज्जैन से संतुष्ट नही हुए वो जानते थे कि यहां महाकाल का राज्य है इसलिए उन्होंने उज्जैन से बाहर अपना महल बनाया। क्योंकि

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मैं सामंतवाद के खिलाफ हूँ – मुरारीलाल दुबे (वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता)

मैं बचपन से ही राजशाही के विरोध में रहा हूं। मेरे हिसाब से आजाद भारत में राजतंत्र की कोई जगह नही है। हमारे समाज में जो समाजवादी, समावेशी विचारधारा है वह मूलत राजवंश के विचारों से मेल नही खाती। ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की आजाद भारत में मनमानी मुझे पंसद नही आई। इसी विद्रोही स्वभाव से मेरा इस राजवंश के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुआ। छात्र राजनीति में मैंने अपने साथी रामप्रकाश त्रिपाठी के साथ मिलकर ग्वालियर मेले में सिंधिया परिवार के स्टॉल का विरोध किया और इस भयंकर विरोध के बाद इस सरकारी मेले से बिना किसी शुल्क देने वाले सिंधिया परिवार के स्टॉल को हटाया गया। तब से अब तक मैं इनकी और ये मेरी रडार में आ गये। ग्वालियर में मैं पहला व्यक्ति था जिसने इनके संपत्तियों पर अवैध कब्जों का पता लगाया। इस लंबी लड़ाई में उस जमाने में जब सूचना का अधिकार भी नही था। मैंने अपने जीवन में इनकी सामंतशाही के खिलाफ कागज एकत्र करना प्रारंभ किया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे सैकड़ों में अवैध तरीके से इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और बेच दिया। यह राजा होते हुए भी बड़े छोटे मन के थे। छोटे-छोटे मंदिरों उनकी संपत्तियों पर कब्जा करके बेच दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हद तो वहां कर दी जब इन्होंने अपने परदादा स्व. माधवराव सिंधिया प्रथम का वफादार और लाड़ला कुत्ते की समाधि को भी नही छोड़ा। समाधि से लगी सरकारी जमीन को कब्जा कर नामांतरण कर बेच डाला। मेरा पूरे राजनैतिक भविष्य को सिंधिया परिवार ने खत्म दिया। मेरी इतनी जांच की गई कि अगर मेरी जगह कोई व्यक्ति होता तो वह जिंदा नही रहता। इनकी संपत्तियों की जांच कर सरकार अगर केस दायर कर लेती है तो इन्हे निश्चित ही सजा होगी और अतिश्योक्ति नही होगी कि वह अपना बचा हुआ जीवन जेल में काटेंगे। अगर सरकार इनके अवैध कब्जे की जमीन पूरे देश से ले लेती है तो मध्यप्रदेश सरकार का पूरा कर्जा एक ही दिन में खत्म हो जायेगा। जैसा कि इन्होंने जगत विज़न पत्रिका की संपादक विजया पाठक को बताया।

मैं सामंतवाद के खिलाफ हूं। जब से राजमाता ने संविद सरकार बनाई थी तब से ही मेरी सिंधिया परिवार से लड़ाई चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, और अन्य जगहों पर शासकीय भूमियों को अपने नाम पर नामांतरण कराकर अवैध कब्जा कर लिया और कई जमीनों को बेच दिया है। यदि शिवराज सरकार सिंधिया द्वारा किए गए अवैध जमीनों की जांच निष्पक्ष तरीके से करा दें। अवैध कब्जे की जमीन को अपने पास ले ले और उसको सरकारी रेट पर बेचे तो मध्यप्रदेश सरकार का सारा कर्जा उतर जायेगा जिन्होंने कब्जा किया उनको अगर हटा नही सकते तो उनको सरकारी रेट से जमीन बेच दे। सिंधिया ने इतने ज्यादा जमीन घोटाले किए है कि इनकी मजबूरी थी कि बीजेपी में नही गए तो इनका नाम घोटालों में आ जाता। सिंधिया 18 साल मंत्री रहे। लेकिन इन्होंने ग्वालियर का कोई विकास नही किया।

महादजी जानते थे कि दिल्ली का राजा कमजोर है, वह दूसरों से मदद मांगते हैं। क्यों न दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। परंतु महादजी दिल्ली पर कब्जा न कर सके। परंतु दिल्ली के राजा के साथ समझौता हुआ और उसके बदले में उन्हें ग्वालियर का किला

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ग्वालियर के सबसे बड़े भू-माफिया हैं सिंधिया - विनोद शर्मा (अधिवक्ता एवं समाजसेवी)

बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के सबसे बड़े भू-माफिया हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से जमीनों का नामांतरण अपने विभिन्न ट्रस्टों में करवा दिया है। यह जमीनें सैकड़ों एकड़ है। गोरखी महल का गलत तरीके से सीमांकन करवाया है, जिसमें अवैध वसूली हो रही है। ग्वालियर में जहां भी छतरी बनी है। वहां 30 रूपये की टिकिट बेचकर अवैध वसूली की जा रही है। साईकिल, कार पार्किंग बनाकर रोज 50 हजार की अवैध वसूली हो रही है। सिंधिया जमीनों पर अवैध कब्जा कर अवैध वसूली कर रहे हैं। इस पूरे गोरखधंधे में प्रशासन भी सिंधिया का सहयोग कर रहा है। इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दें। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े स्तर पर जमीनों का बंदरबांट करने में लगे है। सिंधिया ने शासकीय भूमि, धार्मिक स्थल की भूमियों पर अवैध तरीके से नामांतरण कराकर या तो अपने ट्रस्टों में सम्मिलित कर लिया है या उन जमीनों को बेच दिया है। एक नहीं अनेकों मामले है, जिनमें सिंधिया जमीनों के फर्जीवाड़ा में शामिल है। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंधिया के कारनामों की जांच कर पाएंगे। सिंधिया आज भी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जो कमलनाथ सरकार में भी ऐसा कर चुके हैं।

-जैसा कि विनोद शर्मा ने जगत विजन पत्रिका की सम्पादक विजया पाठक को बताया

और गोहद का किला दिया था, जहां जाटों का शासन था। ग्वालियर के आसपास 370 गढ़िया थी, जो अभी भी हैं। सिंधिया ने गोहद पर हमला करके वहां के राजा को हटा दिया। तबसे वहां के जाट सिंधिया से नाराज हैं। गोहद के जाट राजा भागकर धौलपुर चले गये। सिंधियाओं को जाटों से खतरा था क्योंकि जाट कोम लड़ाकू होती है। बाद में सिंधिया घराने के वसुंधरा राजे की शादी जाट राजघराने धौलपुर में हुई।

निश्चित तौर पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गैरकानूनी तरीके से

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया उससे उनकी मानसिकता का परिचय दिखाई देता है। माहोरकर बाड़ा पर अवैध कब्जा, कुत्ते की समाधि पर अवैध कब्जा, भूतेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर कब्जा जैसे तमाम फर्जी कारनामें हैं, जिन्हें फर्जी तरीके से नामांतरण करवाया और अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसे कई कारनामों के दस्तावेज है। हमारे पास ऐसे कई कारनामें के दस्तावेज उपलब्ध है। फर्जी ट्रस्टों के माध्यम से एक-एक कर कई शासकीय जमीनों का बंदरबांट किया गया। हम आगे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसे ही काले कारनामों को उजागर करते रहेंगे। ताकि लोगों को भी सिंधिया का असली चेहरा सामने आ सके।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पंचायतों में आरक्षण से और मजबूत होगा उत्तर प्रदेश

सियाराम पांडेय 'शांत'

उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण नियमावली जारी कर दी। इससे उत्तर प्रदेश न केवल और मजबूत होगा बल्कि राज्य में महिलाओं, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों का सामाजिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। वे सशक्त होंगे तो इसका असर प्रदेश के विकास पर भी व्यापक रूप से दिखेगा। जिला, नगर, ब्लॉक और गांवों का चानुम आधारित आरक्षण कर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस बहाने सरकार ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपने अनुकूल करने की मुक मल कोशिश भी की है। इससे पंचायतों में वर्षों से चले आ रहे परिवारवादी कॉकस को तोड़ने में मदद मिलेगी, वहीं इसे लेकर उत्पन्न होने वाले असंतोष की जड़ में अवसर प्राप्ति का मट्ठा भी पड़ेगा। महिला सशक्तीकरण अभियान चलाने वाली योगी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने की भी इस बहाने भरपूर कोशिश की है। देखा जाए तो इस नई आरक्षण व्यवस्था से दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाले बड़े राजनीतिक दलों को भी झटका लगेगा। किसान आंदोलन के मद्देनजर पंचायत चुनाव कराने का जो अदालती दबाव विपक्ष ने सरकार पर बनाया था, योगी सरकार ने अपने एक प्रयास से उसकी हवा निकाल दी है।

रोटेशन आधारित इस आरक्षण प्रक्रिया के चलते प्रदेश में महिलाओं का दबदबा बढ़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश की 58194 ग्राम पंचायतों में 19659 महिला प्रधान चुनी जाएंगी। जिला पंचायत की 75 में से 25 सीटों पर महिलाओं का कब्जा होगा। ऐसी फूलप्रूफ व्यवस्था कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में 33 प्रतिशत भागीदारी की महिलाओं की चिर प्रतीक्षित मांग भी पूरा कर दी है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जिला पंचायत पर भी महिला ही काबिज होगी। यहां की जिला पंचायत अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति की महिला बनेगी। शामली, बागपत, लखनऊ, कौशा बी, सीतापुर और हरदोई में जहां अनुसूचित जाति की महिला जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी, वहीं संभाल, हापुड, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी और बड़ों की जिला पंचायत अध्यक्ष ओबीसी की होगी। अनारक्षित जिला पंचायतों में भी 12 जिला पंचायतें कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मउ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महिला प्रथम की नीति से महिलाओं की सहानुभूति का लाभ योगी सरकार को पंचायतों में तो मिलेगा ही, इसे 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्लॉक प्रमुखों की कुल 826 सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें चार पर इसी जाति की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। जबकि अनुसूचित जाति के लिए 171 सीटें छोड़ी गई हैं, जिनमें से 86 सीटों पर इसी जाति की महिलाएं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 223 सीटों में से 97 इस वर्ग की महिलाओं के लिए है। जिला पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीटें आरक्षित कर योगी सरकार ने सूबे में यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह सबका साथ और सबका विकास की अवधारणा में यकीन रखती है।

कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाए और ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार अधिकारियों के हाथों में चले गए थे। उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। कदाचित ऐसा न होता तो स्थिति ज्यादा मुफीद होती लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अदालत के निर्देश के बाद सचि हुई योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नियमावली जारी कर दी है। चानुम यानी रोटेशन के तहत आरक्षण का लाभ पंचायतों को तो होगा ही, आरक्षण से वंचित तबका भी अब ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जोर आजमा सकेगा।

एक ही जाति के व्यक्ति के पास अगर पंचायती हो तो बाकी जाति के लोगों में असंतोष का भाव पैदा होता है। यह स्थिति पंचायत के विकास में रोड़े अटकाती है। सरकार ने इसे न केवल समझा है बल्कि असंतोष की जड़ पर ही प्रहार करने की योजना बनाई है। इससे गांव और शहर के बीच भी संतुलन बनेगा। आरक्षण नियमावली पर कुछ राजनीतिक दलों को असंतोष हो सकता है, उन्हें नाराजगी हो सकती है लेकिन इस दिशा में प्रयास तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन देर आयद-दुरुस्त आयद के तहत जिस तरह योगी सरकार आगे बढ़ रही है, उससे प्रदेश में खासकर पंचायती क्षेत्रों चाहे वह गांव हो, ब्लॉक हो, नगर हो या जिला, व्यवस्था बदलेगी और काम के स्वरूप में भी नवीनता देखने को मिलेगी। बहुत सारे गांव, ब्लॉक, नगर व जिला पंचायतों के वार्ड ऐसे थे जिनका कभी आरक्षण हुआ ही नहीं। एक ही

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

परिवार के हाथ में प्रधानी और पंचायती का दायित्व रहा। पंचायतों के इस वंशवादी चरित्र को तोड़ना मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जरूरत थी। सरकार ने इस जरूरत को समझा ही नहीं, बल्कि पंचायतों में सुधारों के दृष्टिगत उसमें सुधार-परिष्कार की दिशा में भी वह आगे बढ़ी।

सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की गई हैं और अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं हुई हैं। इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की गई हैं। इससे मोनोपोली टूटेगी। किसी जाति विशेष का वर्चस्व टूटेगा। बदलाव होगा तो इससे विकास कार्यों में नयापन भी देखने को मिलेगा।

सरकार का प्रयास रहा है कि चानुम आरक्षण प्रणाली के तहत एक भी पंचायत ऐसी न हो जो जातिगत आरक्षण से वंचित रह जाए। अपने इस प्रयास में वह बहुत हद तक सफल भी रही है। मतलब यह कि हर जाति के लोगों को इसबार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, इस दिशा में उठाया गया कदम बेहद सराहनीय है। खास बात यह है कि वर्ष 1995 से अब तक के 5 चुनावों में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती रहीं और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रह गई, वहां ओबीसी का आरक्षण होना बेहद मायने रखता है। अखिलेश सरकार में वर्ष 2015 में ग्राम पंचायतों का आरक्षण शून्य मानकर नए सिरे से आरक्षण लागू किया गया था। क्षेत्र व जिला पंचायतों में वर्ष 1995 के आरक्षण को आधार मानकर सीटों का आरक्षण चानुम से कराया गया था। योगी सरकार आरक्षण च को शून्य करने के पक्ष में हरगिज नहीं थी। चुनाव में सभी जाति-वर्ग को मौका मिले और पंचायती सरकार किसी एक परिवार या वंशवाद की शिकार न हो जाए, इस लिहाज से भी ऐसा करना जरूरी हो गया है।

चुनाव देर से हों, कोई बात नहीं लेकिन अगर सबके विकास को लक्ष्य रखकर कोई योजना बनती है तो उसका असर भी दिखता है। योगी सरकार के इस निर्णय का भी असर दिखेगा, इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। किसानों के आंदोलन के बीच इस तरह का चानुम आरक्षण सरकार के प्रति पंचायतों पर वर्षों से कुंडली मारे बैठे कुछ लोगों की नाराजगी का सबब भी बन सकता है लेकिन काम तो वही करने चाहिए जिसमें सबका हित हो। मौजूदा आरक्षण प्रणाली इसी ओर इंगित करती है।

घोषणा : प्रारूप चार : नियम आठ

1. प्रकाशन का स्थान	- भोपाल
2. प्रकाशन की अवधि	- मासिक
3. मुद्रक का नाम	- जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, भोपाल
4. प्रकाशक का नाम	- विजया पाठक
5. क्या आप भारत के नागरिक है	- हाँ (भारतीय)
6. संपादक का नाम	- विजया पाठक, भारतीय
7. पत्र के स्वामी का नाम व पता	- विजया पाठक एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मैं विजया पाठक यह घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर पूर्णत: सत्य है।

1 मार्च 2021

विजया पाठक
प्रकाशक

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जय श्रीराम का नारा और ममता बनर्जी की चिढ़

योगेश कुमार सोनी

हर वर्ष की तरह सुभाष चंद्र बोस की 125 जयंती को पूरे देश में धूमधाम मनाया गया। इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उपस्थित थे। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सभी ने अपने-अपने भाव प्रकट देते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस आयोजन में जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बोलने की बारी आई तो वहां उपस्थित लोग जोर-जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जिसके बाद ममता बनर्जी ने मंच से कहा कि ये सरकार का कार्यक्रम है और इसकी गरिमा होनी चाहिए। इसपर किसी राजनीतिक रंग को न चढ़ाया जाए क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। मैं पीएम मोदी और सांस्कृतिक मंत्रालय की आभारी हूं लेकिन किसी को निमंत्रित करके उसे बेइज्जत करना आपको शोभा नहीं देता है। इतना कहकर वह मंच से वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई जबकि उनका पांच मिनट तक भाषण का समय था।

ममता बनर्जी के इस व्यवहार से वहां उपस्थित लोग चकित रह गए। एकबार फिर उन्होंने यह तय कर दिया कि जय श्रीराम के नारे से वह बुरी तरह चिढ़ती हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। कार्यक्रम के समापन के बाद ममता बनर्जी के इस रुख पर नेताजी के परपोते ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा एकता के लिए खड़े थे। आजाद हिंद फौज में सभी धर्म के लोग थे। चाहे आप जय हिंद कहें या फिर जय

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

श्रीराम उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। जय श्रीराम कहना ऐसा नहीं है जिससे किसी को एलर्जी हो और वह इसपर प्रतिक्रिया दे। इसके अलावा भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए तमाम बातें कहीं।

ममता बनर्जी के रूप में पहला ऐसा नेता देखा गया है कि जिसकी कोई चिढ़ बन गई हो और वो भी भगवान के नाम पर। पहले भी ऐसा हो चुका एकबार तो मुख्यमंत्री चप्पल लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दौड़ती नजर आई थीं। वो दृश्य बेहद आश्चर्यचकित करने वाला था। हालांकि सोशल मीडिया पर यह हास्यप्रद घटना के रूप में छाया रहा। राजनीति करना या शक्ति प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इस तरह का व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा।

इस घटनाम का विश्लेषण करें तो इस तरह की शैली से ममता बनर्जी के मन की कुंठा स्पष्ट हो जाती है कि वो हिंदुत्व को पसंद नहीं करती या फिर यह समझ में आता है कि बीजेपी के वर्चस्व व हिंदू छवि के आधार पर बीजेपी ने जिस तरह अपने पैर पसारे हैं, उसी वजह से वे इस नारे से नाखुश रहने लगी। बीजेपी की रैली, सभा व हर जगह यह नारा लगता है। जैसा बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 42 में से रिकार्ड तोड़ जीत हासिल करते हुए 18 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, वहीं राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने इतनी सीटें हासिल की।

ममता बनर्जी के रूप में पहला ऐसा नेता देखा गया है कि जिसकी कोई चिढ़ बन गई हो और वो भी भगवान के नाम पर। पहले भी ऐसा हो चुका एकबार तो मुख्यमंत्री चप्पल लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दौड़ती नजर आई थीं। वो दृश्य बेहद आश्चर्यचकित करने वाला था।

राजनीति हमेशा विचारों की लड़ाई रही है। नेता मंच से एक-दूसरे को पार्टी को नीचा दिखाने का प्रयास करते आए हैं लेकिन उन्होंने लड़ाई को पर्सनल नहीं लिया। बीते दशक में राजनीति का स्तर बहुत गिरा है व शब्दों की मर्यादा का किसी को ख्याल नहीं रहा। आरोप-प्रत्यारोप के चक्कर में मुद्दा हर बार भटकता रहा। ज्यादातर एक-दूसरे के निजी जीवन पर वार किया जाने लगा।

बहरहाल, यह लोकतंत्र है। ममता दीदी हर छोटी से छोटी घटना को दिल पर ले जाती हैं। हर बात पर अपना वजूद अड़ाने का प्रयास करती हैं जो मुख्यमंत्री पद की गंभीरता पर सवालिया निशान खड़ा करता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

नया भारत जानता है चीन को झुकाना

रंजना मिश्रा

अप्रैल-मई 2020 में लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन के सैनिक अब अपनी पुरानी चौकियों की ओर लौट रहे हैं। चट्टानी इरादों और भारतीय रणबांकुरों के शौर्य के आगे आखिरकार ड्रैगन को डरना ही पड़ा और इस तरह करीब 10 महीने से जारी भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है। चीन अपनी विस्तारवाद की नीति के चलते दूसरे देशों की जमीन हड़पने की साजिशें रचा करता है, किंतु इसबार उसे भारत से मुंह की खानी पड़ी। चीन की जिद के चलते इस विवाद की शुरुआत पिछले साल अप्रैल महीने में हुई थी, तब चीन ने पैंगोंग लेक के पास एलएसी को पार करने की हिमाकत की थी। चीन पुरानी एलएसी को मानने से इंकार कर रहा था और फिंगर 4 तक आ चुका था, यहां तक कि उसने वहां

10 महीने से जारी भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है। चीन अपनी विस्तारवाद की नीति के चलते दूसरे देशों की जमीन हड़पने की साजिशें रचा करता है, किंतु इसबार उसे भारत से मुंह की खानी पड़ी।

कैंप बनाने भी शुरू कर दिए थे। इसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। दोनों देशों ने यहां हजारों जवानों की तैनाती कर दी। दोनों देशों की फौजों के बीच झड़पें भी हुईं, गोली भी चली, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के भी कई फौजियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब इस विवाद का अंत होता दिखाई दे रहा है। वास्तव में एलएसी फिंगर 8 तक है लेकिन चीन इसे मानने से इंकार कर रहा था। भारत ने रणनीतिक और राजनीतिक हर मोर्चे पर ड्रैगन को सबक सिखाने का सफल प्रयास किया। चीन ने जब अप्रैल में पहले वाली स्थिति लागू करने से इंकार कर दिया तो

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारत ने भी एलएसी पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी। चीन ने जब करीब 10 हजार जवानों की तैनाती की तो भारत ने भी इतने ही जवानों को एलएसी पर लगा दिया, इतना ही नहीं मई के महीने में भारत की ओर से चीन सीमा पर टैंकों की भी तैनाती कर दी गई। सितंबर-अक्टूबर तक फौजियों की तादाद करीब 60 हजार तक पहुंच गई। अगस्त में जब चीन के सैनिकों ने पैंगोंग सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने इसबार करारा पलटवार किया। 29 और 30 अगस्त की रात को भारत के वीर जवानों ने साउथ पैंगोंग सो में कैलाश रेंज की मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजांग ला, रेचिन ला, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जैसी कई अहम चोटियों पर मोर्चाबंदी कर ली। इन चोटियों पर कब्जे से चीन के रणनीतिक ठिकाने भारत के निशाने पर आ गए और उसकी अकड़ ढीली हो गई। चीन का मोल्डो सैनिक अड्डा इन चोटियों पर बैठे भारतीय जवानों के सीधे निशाने पर था। कैलाश रेंज में दोनों देशों के सैनिक लगभग 300 मीटर की दूरी पर आमने-सामने थे। लगभग साढ़े

सितंबर-अक्टूबर तक फौजियों की तादाद करीब 60 हजार तक पहुंच गई। अगस्त में जब चीन के सैनिकों ने पैंगोंग सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने इसबार करारा पलटवार किया। 29 और 30 अगस्त की रात को भारत के वीर जवानों ने साउथ पैंगोंग सो में कैलाश रेंज की मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजांग ला, रेचिन ला, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जैसी कई अहम चोटियों पर मोर्चाबंदी कर ली।

300 किलोमीटर लंबी कैलाश रेंज तिब्बत के मानसरोवर झील तक जाती है, यहां से तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाला चीन का हाईवे नंबर 219 भी ज्यादा दूर नहीं था। भारतीय जवानों के मोर्चे पर डटे रहने के कारण चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, अब उसकी चौकियां डायरेक्ट इंडिया के निशाने पर थीं। इस तनाव के चलते भारत ने टाइप 15 लाइट टैंक्स, इनफेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, ए एच 4 हॉवित्जर गन्स, एच जे-12 एंटी टैंक्स, गाइडेड मिसाइल, एन ए आर-751 लाइट मशीनगन, डब्ल्यू-85 हेवी मशीनगन्स बॉर्डर पर तैनात कर दिए थे। उधर लद्दाख के आसमान में तेजस, राफेल, मिग, अपाचे , चिनूक जैसे लड़ाकू मशीन गरजते रहे, जिससे चीन को सख्त संदेश गया। भारत ने चीन को न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर पटकनी दी, बल्कि उसके इर्द-गिर्द ऐसा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

शिकंजा कसा कि उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भारत ने ताकत के नशे में उड़ते हुए चीन को जमीन पर लाने के लिए तीनतरफा घेराबंदी की और इसी का नतीजा है कि दुनिया ने आज लाल सेना के टैंकों को उल्टे पांव लौटते हुए देखा।

पहले तो भारत ने चीन को सैन्य मोर्चे पर करारा जवाब दिया, एलएसी पर भारत ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी, इसके अलावा कई चीनी ऐप पर बैन लगा दिया। साथ ही भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट्स से चीनी कंपनियों को हाथ होना पड़ा और चीनी निवेश के मसले पर देश में भी विरोध की हवा बन गई, यही वजह रही कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चीन के प्रति एक अलग माहौल बन गया और उसपर कूटनीतिक दबाव पड़ने लगा।

चीन ने अक्टूबर में डिसइंगेजमेंट का नया प्रस्ताव भारत के सामने रखा, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को पीछे हटाने का प्रस्ताव था। अपने इस नए प्रस्ताव में चीन ने स्वयं के लिए फिंगर 5 तक पीछे हटने का और भारत के लिए फिंगर 3 तक पीछे हटने का प्रस्ताव रखा था। किंतु भारत ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा कर यह मांग रखी कि चीन के सैनिक पेंगोग सो में फिंगर 8 के पीछे वापस जाएं। कैलाश रेंज में भारत की स्थिति बेहद मजबूत थी और सर्दियां सिर पर थीं आखिरकार चीन फिंगर 8 से पीछे हटने को राजी हो गया। डिसइंगेजमेंट के बाद चीनी सैनिक फिंगर 8 के उस पार चले जाएंगे और भारतीय सैनिक भी फिंगर 4 से हटकर फिंगर 3 पर आ जाएंगे जहां मेजर धनसिंह थापा पोस्ट है। फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा। दक्षिण पेंगोग के इलाके में चीन ने कुछ निर्माण भी किए थे, चीन उन्हें भी हटाएगा।

पहले तो सरकार ने फौज को खुली छूट दी और इस मसले को सैन्य लेवल पर ही सुलझाने पर जोर दिया किंतु जब सैन्य लेवल पर बात नहीं बनी तब चीन मामले के विशेषज्ञ कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला। साथ ही विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के लेवल पर भी सरकार ने अपनी ओर से बातचीत की। केंद्र ने सर्वदलीय बैठक की और इस बीच प्रधानमंत्री ने अचानक लद्दाख का दौरा कर जवानों के हौसले बुलंद कर दिए और वहीं से यह साफ कर दिया कि अब विस्तारवाद का दौर खत्म हो चुका है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

तो कश्मीर से आने लगी अब खुशनुमा बयार

लंबे अंतराल के बाद जम्मू-कश्मीर में खुशनुमा बयार बहने लगी है। इसे सारा देश महसूस कर रहा है। वहां मारकाट और हिंसा का दौर अब खत्म होता नजर आ रहा है। भारत विरोधी नेता और शक्तियां अप्रसांगिक होती जा रही हैं। कश्मीरी जनमानस को अब अच्छी तरह समझ आ रहा है कि देश के शत्रुओं ने उनके राज्य और अवाम का किस हद तक नुकसान किया है। राज्य में मोबाइल 4जी इंटरनेट सेवा डेढ़ साल बाद फिर बहाल हो गई है। आपको पता ही है कि सुरक्षा कारणों के चलते अगस्त 2019 में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई थी। घाटी में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल होने से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।

आर.के. सिन्हा

लंबे अंतराल के बाद जम्मू-कश्मीर में खुशनुमा बयार बहने लगी है। इसे सारा देश महसूस कर रहा है। वहां मारकाट और हिंसा का दौर अब खत्म होता नजर आ रहा है। भारत विरोधी नेता और शक्तियां अप्रसांगिक होती जा रही हैं। कश्मीरी जनमानस को अब अच्छी तरह समझ आ रहा है कि देश के शत्रुओं ने उनके राज्य और अवाम का किस हद तक नुकसान किया है। राज्य में मोबाइल 4जी इंटरनेट सेवा डेढ़ साल बाद फिर बहाल हो गई है। आपको पता ही है कि सुरक्षा कारणों के चलते अगस्त 2019 में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई थी। घाटी में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल होने से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में रहने वाले मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि घाटी के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस फैसले से कश्मीरी अवाम बहुत खुश है। कोरोना के कारण बंद स्कूल और कॉलेज भी खुल रहे हैं। जाहिर है, इसके चलते सारे माहौल में एक तरह की सकारात्मकता व्याप्त है। विद्यार्थी, उनके माता-पिता और अध्यापक सभी खुश हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर को उपयुक्त समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। यह एक बड़ा भरोसा दिया है गृहमंत्री ने पूरे देश को। इन सब हलचलों के अलावा कश्मीर में फिर से फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। बर्फ की चादर में लिपटी कश्मीर की हसीन वादियों को कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछली 14 फरवरी को बॉलीवुड के नामी फिल्मी हस्तियों से बात की। इस मुलाकात का मकसद, कश्मीर में एकबार फिर बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण और फिल्म निर्माण के लिए कश्मीर में सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाना है।

आप मानकर चलिए कि कश्मीर घाटी में लेकर निकलते हैं। आप उनसे कभी मुलाकात हो तो राज्य के ताजा हालात के बारे में पूछिए। उनका जवाब होता है- सब ठीक है। कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद कपड़े बेचने वाले अब नहीं आएंगे। पर यह नहीं हुआ। ये इसबार दिल्ली और उत्तर भारत के शेष

भारतीय फिल्मों को पिछले पचास दशकों में खूब दिखाया गया है। कश्मीर में हर जगह फिल्म की शूटिंग हो सकती है। यह एक सदाबहार शूटिंग स्थल है। यहां हर मौसम में शूटिंग हो सकती है। यहां दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए शूटिंग की पूरी संभावना है। बॉलीवुड के कई फिल्म निर्माता कश्मीर में शूटिंग के लिए आना चाहते हैं। जल्द ही फिर से फिल्मों की शूटिंग होने लगेगी। वहां पर पिक्चर हॉल भी खुल जाएंगे। अब जबकि कोरोना का असर खत्म हो रहा तो राज्य के हजारों कपड़े बेचने वाले देश के विभिन्न भागों में कश्मीरी हस्तशिल्प और कपडे बेचने निकल गए हैं। ये बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग वगैरह से संबंध रखते हैं। ये कश्मीरी फिरन, टोपियां, शालें, चादरें राज्यों में पड़ी कड़ाके की सर्दी से खुश थे। उत्तर भारत में जाड़ा बढ़ने से उनका माल मजे- मजे में अच्छे दामों पर बिकता रहा।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में बदले हालातों के लिए वर्तमान सरकार को क्रेडिट देना होगा। जम्मू-कश्मीर का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज की शुरुआत हुई है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पहले जम्मू-कश्मीर में तीन परिवार ही शासन कर रहे थे, इसलिए वे सदैव अनुच्छेद 370 के पक्ष में रहते थे। जम्मू-कश्मीर में निचली पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें 74 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। कश्मीर के इतिहास में इतना भारी और उत्साहपूर्ण मतदान कभी नहीं हुआ था। वहां करीब 3,650 सरपंच निर्वाचित हुए, 33,000 पंच निर्वाचित हुए। गृहमंत्री शाह ने सही कहा, जम्मू कश्मीर में अब राजा का जन्म रानी के पेट से नहीं होगा, वोट से होगा। वोट से नेता चुने जाएंगे।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर की पंचायतों को अधिकार दिया है, बजट दिया है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है और अब वहां अफसर भेजे जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में लोगों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर देने, काम के नये अवसर मुहैया कराने और खेलों को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 58,627 करोड़ रुपये परिव्यय करने की 54 योजनाएं थीं और उसे लगभग 26 फीसद और बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति शासन के बाद से लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है। जम्मू-कश्मीर के उद्योगों में सबसे बड़ी बाधा थी कि वहां कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो उन्हें जमीन नहीं मिलती थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जमीन के कानून में परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि कश्मीर के अंदर हर प्रकार के उद्योग लग पाएंगे।

अब कश्मीरी अवाम से भी देश यह उम्मीद करेगा कि वह उन तत्वों से सावधान रहें जो अभीतक पाकपरस्ती करते थे और राज्य के कर्णधार बने हुए थे। इन्होंने कश्मीरी जनता को सिर्फ ठगा और छला। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में कुछ पाकिस्तान समर्थक भी बने हुये हैं। इनकी निष्ठा सदैव पाकिस्तान के साथ रही है। जनता इनसे सावधान रहे। पाकिस्तान तो कश्मीर में सामान्य होते हालातों से बहुत हैरान-परेशान है। इसलिए अब इमरान कह रहे हैं कि कश्मीरी अवाम को पाकिस्तान से विलय

और स्वतंत्र रहने का हक मिलेगा। इमरान खान से कोई पूछे कि तुम होते कौन हो कश्मीर की जनता को विकल्प देने वाले। वे याद रखें कि शीशे के घरों में रहने वाले कभी दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। वे पहले अपना घर संभाल तो लें। कौन जाने कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के कुछ और टुकड़े हो जाएं। वहां बलूचिस्तान तो एक मिनट के लिए भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। सिंध में भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं।

खैर, जम्मू-कश्मीर के लिए आने वाला वक्त महत्वपूर्ण होने वाला है। उसका चौतरफा विकास होना ही चाहिए। पिछले सत्तर सालों के दौरान एक बेहतरीन राज्य को कुछ खानदान नोच-नोचकर खाते रहे। अब जम्मू-कश्मीर देश की मुख्यधारा से जुड़ेगा।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Global Warming its effects and challenge for America

Shefali Vaibhav

Curbing dangerous climate change requires very deep cuts in emissions, as well as the use of alternatives to fossil fuels worldwide. The good news is that we've started a turnaround: CO2 emissions in the United States actually decreased from 2005 to 2014, thanks in part to new, energy-efficient technology and the use of cleaner fuels. And scientists continue to develop new ways to modernize power plants, generate cleaner electricity, and burn less gasoline while we drive. The challenge is to be sure these solutions are put to use and widely adopted.

How is global warming linked to extreme weather?

Scientists agree that the earth's rising temperatures are fueling longer and hotter heat waves, more frequent droughts, heavier rainfall, and more powerful hurricanes. In 2015, for example, scientists said that an ongoing drought in California the state's worst water shortage in 1,200 years had been intensified by 15 percent to 20 percent by global warming. They also said the odds of similar droughts happening in the future had roughly doubled over the past century. And in 2016, the National Academies of Science, Engineering, and Medicine announced that it's now possible to confidently attribute certain weather events, like some heat waves, directly to climate change.

The earth's ocean temperatures are getting warmer, too which means that tropical storms can pick up more energy. So global warming could turn, say, a category 3 storm into a more dangerous category 4 storm. In fact, scientists have found that the frequency of North Atlantic hurricanes has increased since the early 1980s, as well as the number of storms that reach categories 4 and 5. In 2005, Hurricane Katrina—the costliest hurricane in U.S. history struck New Orleans; the second-costliest, Hurricane Sandy, hit the East Coast in 2012.

The impacts of global

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

warming are being felt across the globe. Extreme heat waves have caused tens of thousands of deaths around the world in recent years. And in an alarming sign of events to come, Antarctica has been losing about 134 billion metric tons of ice per year since 2002. This rate could speed up if we keep burning fossil fuels at our current pace, some experts say, causing sea levels to rise several meters over the next 50 to 150 years.

What are the other effects of global warming?

Each year, scientists learn more about the consequences of global warming, and many agree that environmental, economic, and health consequences are likely to occur if current trends continue. Here's just a smattering of what we can look forward to:

- Melting glaciers, early snowmelt, and severe droughts will cause more dramatic water shortages and increase the risk of wildfires in the American West.
- Rising sea levels will lead to coastal flooding on the Eastern Seaboard, especially in Florida, and in other areas such as the Gulf of Mexico.
- Forests, farms, and cities will face troublesome new pests, heat waves, heavy downpours, and increased flooding. All those factors will damage or destroy agriculture and fisheries.
- Disruption of habitats such as coral reefs and Alpine meadows could drive many plant and animal species to extinction.
- Allergies, asthma, and infectious disease outbreaks will become more common due to increased growth of pollen-producing ragweed, higher levels of air pollution, and the spread of conditions favorable to pathogens and mosquitoes.

Where does the United States stand in terms of global-warming contributors?

In recent years, China has taken the lead in global-warming pollution, producing about 28 percent of all CO2 emissions. The United States comes in second. Despite making up just 4 percent of the world's population, we produce a whopping 16 percent of all global CO2 emissions as much as the European Union and India (third and fourth place) combined. And America is still number one, by far, in cumulative emissions over the past 150 years. Our responsibility matters to other countries, and it should matter to us, too.

Is the United States doing anything to prevent global warming?

We've started. But in order to avoid the worst effects of climate change, we need to do a lot more together with other countries to reduce our dependence on fossil fuels and start using clean energy instead.

In 2015, the U.S. Environmental Protection Agency pledged to reduce carbon pollution from our power plants by nearly a third by 2030, relative to 2005 levels, through

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

its Clean Power Plan. But fast-forward to 2017, and under the Trump Administration, the EPA proposed repealing this critical tool for curbing climate change. Likewise, while under the Obama administration, the U.S. Department of Transportation proposed carbon pollution and fuel economy standards intended to cut emissions through the 2020s, under Trump administration, the DOT is working to roll back those clean vehicle safeguards that protect the climate and our health.

Fortunately, state leaders—including in car country itself recognize that clean transportation must remain a priority if we are to address the costly risks of climate change and protect public health. And regional efforts around the country are helping to boost the electric car market, which saw an increase in sales for 2017 over 2016. Our clean energy economy is growing too, despite federal efforts to derail it. In 2016, wind employment grew by 32 percent and solar jobs increased by 25 percent.

Globally, at the United Nations Conference on Climate Change in Paris, 195 countries including the United States, at the time agreed to pollution-cutting provisions with a goal of preventing the average global temperature from rising more than 1.5 degrees Celsius above preindustrial times. (Scientists say we must stay below a two-degree increase to avoid catastrophic climate impacts.)

To help make the deal happen, the Obama administration pledged $3 billion to the Green Climate Fund, an international organization dedicated to helping poor countries adopt cleaner energy technologies. Under the terms of the Paris agreement, participating nations will meet every five years, starting in 2020, to revise their plans for cutting CO2 emissions. Beginning in 2023, they will also have to publicly report their progress.

While in 2017, President

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Trump announced the country's withdrawal from the Paris climate agreement and to eliminate "harmful and unnecessary policies such as the Climate Action Plan," Americans are forging ahead without him. Through initiatives like the United States Climate Alliance, the Regional Greenhouse Gas Initiative, We Are Still In, and Climate Mayors, state, business, and local leaders have pledged to honor and uphold the goals of the Paris Agreement. More than 25 cities in 17 states, with populations totaling more than 5 million have adopted resolutions that will enable them to get 100 percent of their electricity from renewable sources like wind and solar.

Even better, a new initiative by former New York City mayor Michael Bloomberg gives the urban layer of this movement a boost. He's asked mayors from the 100 most populous cities in the country to share their plans for making their buildings and transportation systems run cleaner and more efficiently. The 20 that show the greatest potential for cutting the dangerous carbon pollution that's driving climate change will share a total of $70 million in technical assistance funding provided by Bloomberg Philanthropies and partners.

Is global warming too big of a problem for me to help tackle?

Wondering how to stop global warming? Reduce your own carbon footprint by following a few easy steps. Make conserving energy a part of your daily routine and your decisions as a consumer. When you shop for new appliances like refrigerators, washers, and dryers, look for products with the government's Energy Star label; they meet a higher standard for energy efficiency than the minimum federal requirements. When you buy a car, look for one with the highest gas mileage and lowest emissions. You can also reduce your emissions by taking public transportation or carpooling when possible.

And while new federal and state standards are a step in the right direction, much more needs to be done. Voice your support of climate-friendly and climate change preparedness policies, and tell your representatives that transitioning from dirty fossil fuels to clean power should be a top priority because it's vital to building healthy, more secure communities.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

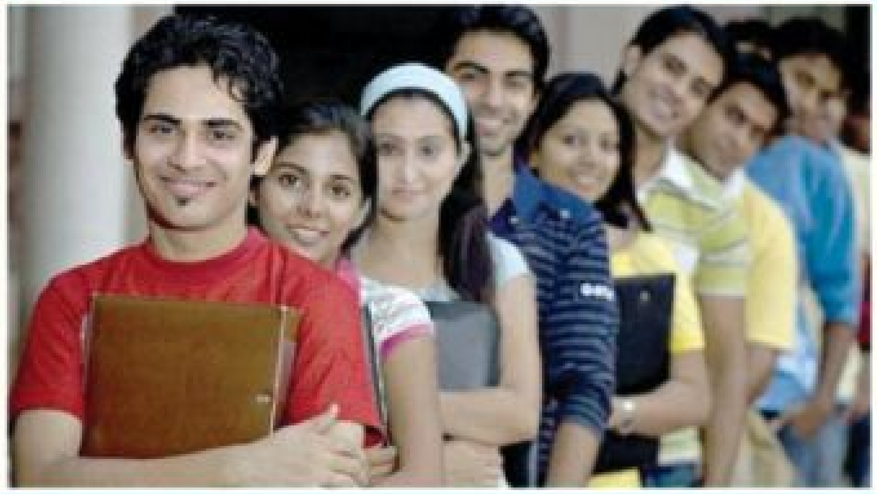

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

संपर्क सूत्र
विजया पाठक (संचालक) 9826064596

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.
संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner